UPKU010031362021

<u>न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 3, कुशीनगर स्थान पडरौना।</u>

<u>उपस्थितः–ओम प्रकाश–IX, एच०जे०एस०–UP2675</u>

सत्र परीक्षण संख्या–584/2021

उ०प्र० सरकार, ...अभियोजन पक्ष।

<u>बनाम</u>

1. मनीष, उम्र–30 वर्ष पुत्र रामभवन,
2. सुरेन्द्र चौहान, उम्र–62 वर्ष पुत्र दुधई,
3. रामईश्वर, उम्र–45 वर्ष पुत्र विशुन,

साकिन–पिड़रा गोपाल, थाना–कोतावाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

अभियुक्तगण।

एवम्

UPKU010000362023

सत्र परीक्षण संख्या–19/2023

उ०प्र० सरकार, ...अभियोजन पक्ष।

<u>बनाम</u>

1. मुन्ना चौहान, उम्र–25 वर्ष पुत्र नरसिंह,

साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–244/2021,

धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भा०दं०सं०

थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

"सत्र परीक्षण संख्या–584/2021, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनीष एवं अन्य और सत्र परीक्षण संख्या–19/2023, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना एक ही मुकदमा अपराध संख्या–244/2021 से सम्बन्धित है। चुँकि उक्त दोनों सत्र परीक्षण संख्याओं में आरोप–पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध अलग–अलग दाखिल किया गया है। अत: दोनों सत्र परीक्षणों का निस्तारण एक साथ समेकित रूप से किया जा रहा है।

निर्णय

01. अभियुक्तगण–मनीष, सुरेन्द्र चौहान और रामईशवर का सत्र परीक्षण संख्या–584/2021, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनीष एवं अन्य, अभियुक्त–मुन्ना का विचारण सत्र परीक्षण संख्या–19/2023, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना, मुकदमा अपराध संख्या–244/2021, धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भा०दं०सं० में विवेचक के द्वारा अलग–अलग आरोप–पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

02. विवेचक द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर के न्यायालय में अभियुक्तगण–मनीष, सुरेन्द्र चौहान और रामईशवर का विचारण हेतु आरोप–पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर उपरोक्त न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–16.09.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार विवेचक द्वारा उपरोक्त न्यायालय में अभियुक्त मुन्ना का विचारण हेतु आरोप–पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर उपरोक्त न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–13.12.2022 को सत्र सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कुशीनगर स्थान पडरौना के आदेशानुसार पत्रावली इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

03. अभियोजन कथानक प्रदर्श क–3 के अनुसार मुकदमा वादी विरेन्द्र चौहान ने दिनांक–12.06.2021 को समय 19:00 बजे, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि घटना दिनांक–12.06.2021 को शाम करीब 07:00 बजे की है। मुकदमा वादी का पुत्र रवि गांव के बाहर शहर स्थित अपने घर पर जा रहा था, रास्ते में ही प्रविन्द चौहान पुत्र स्व० राजदेव के घर के सामने एक राय होकर जान से मारने की नियत से गाँव के ही मनीष पुत्र रामभवन, मुन्ना पुत्र नरसिंह, धीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र, बिट्टू पुत्र रामभवन, सुरेन्द्र पुत्र दुधई, रामईश्वर पुत्र विशुन और हरिकेश पुत्र गम्मल उसके लड़के के ऊपर लाठी–डण्डा व लोहे की राड से हमला कर दिये, सामने खड़ी ऊषा देवी पत्नी प्रविन्द्र ने मुकदमा वादी के पुत्र को बचाने के लिए बीच–बचाव करने गई तो उक्त लोग

उसे भी मारने लगे। वह अपनी जान बचाने के लिए घर में भागी तो सभी लोगों ने लाठी, डण्डा से पीटते हुए दौड़ाने लगे और उसके घर में घुसकर बुरी तरह से मारने–पीटने लगे। सुरेन्द्र पुत्र दुधई चिल्लाकर कहे कि जो बीच–बचाव करने आयेगा उसे जान से मार दो, हम देख लेगे। इसी बीच मनीष पुत्र रामभवन ने जान से मारने की नियत से ऊषा देवी के सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे उषा देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी व रवि के ऊपर भी राड व ईट से मारा गया सिर में गंभीर चोट लगने से वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बेहोश हेने के बाद भी वे सभी लोग लाठी व लोहे की राड से पीटते रहे। शोर सुनकर बगल के ही ओम प्रकाश व रामभजन पुत्रगण बदरी, दुर्गावती पत्नी ओम प्रकाश व अन्य लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध किया तब इन लोगों की जान बची। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकरौली लाया गया, जहाँ डाक्टर ने नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल, कुशीगर रेफर कर दिये। वहाँ के डाक्टर भी मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए रेफर कर दिये। मेडिकल कालेज के डाक्टर भी लखनऊ के लिए रेफर कर दिये। दोनों की स्थिति गम्भीर बनी हुई है।

04. मुकदमा वादी विरेन्द्र चौहान के उक्त प्रार्थना –पत्र पर थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर में धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण–मनीष, मुन्ना, धिरेन्द्र, बिट्टू, सुरेन्द्र, रामईश्वर और हरिकेश के विरूद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

05. मामले की विवेचना हाटा के विवेचक/उपनिरीक्षक श्री सदानन्द यादव द्वारा की गई दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी प्रदर्श क–04 तैयार किया गया और समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर, बिट्टू और मुन्ना के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

06. सत्र परीक्षण संख्या–584/2021 में दिनांक–06.05.2023 को अभियुक्तगण–मनीष, विट्टू, सुरेन्द्र चौहान और रामईश्वर के विरूद्ध धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया और समझाया गया, अभियुक्तगण ने स्वयं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना किया।

इसी प्रकार सत्र परीक्षण संख्या–19/2023, सरकार बनाम मुन्ना में दिनांक–04.07.2023 को अभियुक्त मुन्ना के विरूद्ध धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336,

307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया गया, अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना किया।

07. ***प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त बिट्टू की उम्र घटना की तिथि पर 16 वर्ष 11 माह 18 दिन है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० प्रथम , कुशीनगर स्थान पडरौना के द्वारा आदेश दिनांक–29.10.2025 पारित करते हुए अभियुक्त बिट्टू की पत्रावली शेष अभियुक्तगण से प्रथक करते हुए उसे विधिनुसार निस्तारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड , कुशीनगर के समक्ष प्रेषित किया गया।***

08. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कराया गया, जो निम्नलिखित है:–

क्रम संख्या	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1	पी०डब्लू०–1	श्री विरेन्द्र चौहान (वादी मुकदमा)
2	पी०डब्लू०–2	श्री रवि प्रताप (चोटहिल)
3	पी०डब्लू०–3	श्रीमती उषा देवी (चोटहिल)
4	पी०डब्लू०–4	श्री ओम प्रकाश पुत्र बदरी
5	पी०डब्लू०–5	श्री रामभजन पुत्र बदरी चौहान,
6	पी०डब्लू०–6	श्री रितेश मणि त्रिपाठी (एफ०आई०आर० लेखक)
7	पी०डब्लू०–7	श्री सदानन्द यादव (विवेचक)
8	पी०डब्लू०–8	श्री गौतम शर्मा (चिकित्साधिकारी)
9	पी०डब्लू०–9	श्री बृजेश कुमार यादव (विवेचक)
10	पी०डब्लू०–10	श्री शिवाकान्त पाण्डेय (सीटी स्कैन टेक्निशियन)

9. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये है, उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को अभियोजन साक्षियों ने साबित किया,

जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये।

क्रम संख्या	कागज संख्या	अभिलेख	साक्षी का नाम	साबित प्रदर्श
1	4 क/3	मूल तहरीर	PW–1 विरेन्द्र चौहान	प्रदर्श क–1
2	5 क/3	जी०डी० रपट कायमी	PW–6. श्री रितेश मणि त्रिपाठी	धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिताप्रदर्श क–2
3	4 क/1 ता 4 क/2	चिक एफ० आई० आर०	PW–6. श्री रितेश मणि त्रिपाठी	प्रदर्श क–3
4	8 क	नक्शा नजरी	PW–7 सदानन्द यादव (विवेचक)	प्रदर्श क–4
5	3 क/1 ता 3 क/5	आरोप–पत्र	PW–7 सदानन्द यादव (विवेचक)	प्रदर्श क–5
6	6 क/9	चुटहैल उषा देवी का मेडिकल परीक्षण	PW–8 श्री गौतम शर्मा (चिकित्साधिकारी)	प्रदर्श क–6
7	6 क/2	चुटहैल रवि का डाक्टरी परीक्षण	PW–8 श्री गौतम शर्मा (चिकित्साधिकारी)	प्रदर्श क–7
8	**3 क/1 ता 3 क/5**	**आरोप–पत्र (अभियुक्त मुन्ना)**	PW–9 श्री बृजेश कुमार यादव (विवेचक)	प्रदर्श क–8

9	6 क/10	सीटी स्केन चोटहिल उषा देवी	PW–10 श्री शिवाकान्त पाण्डेय (सीटी स्कैन टेक्निशियन)	प्रदर्श क–9
10	6 क/1	सीटी स्कैन चोटहिल रवि	PW–10 श्री शिवाकान्त पाण्डेय (सीटी स्कैन टेक्निशियन)	प्रदर्श क–10

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण–मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना चौहान का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को सुनकर कहा है कि झूठा एवं गलत कथन किया है और अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 श्री विरेन्द्र चौहान (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2.रवि प्रताप (चोटहिल), पी०डब्लू० 3.उषा देवी (चोटहिल), पी०डब्लू०–5. ओम प्रकाश पुत्र बदरी के बयान को सुनकर अभियुक्तगण ने कहा है कि झूठा एवं गलत कथन/बयान किया है। पी०डब्लू०–4. ओम प्रकाश पुत्र बदरी के बयान को सुनकर अभियुक्तगण ने कहा है कि साक्षी का साक्ष्य सुनी–सुनाई बात पर आधारित है। जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। पी०डब्लू० –6. रितेश मणि त्रिपाठी (एफ०आई०आर० लेखक) के बयान को सुनकर अभियुक्तगण ने कुछ नहीं कहने का कथन किया है। पी०डब्लू०–7. सदानन्द यादव (विवेचक) के बयान को सुनकर अभियुक्तगण ने कहा है कि वादी मुकदमा के साजिश में आकर गलत एवं दूषित विवेचना करके गलत आरोप–पत्र प्रेषित किया है। पी०डब्लू० –8. गौतम शर्मा (चिकित्साधिकारी) के बयान को सुनक अभियुक्तगण ने कहा है कि साक्षी ने जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि दोनों मजरूबों को आई चोटें सामान्य प्रकृति की है। मजरूबगण चेतना अवस्था में थे, सिर में आई चोटें लोहे की राड से सम्भव नहीं है। पी०डब्लू० –9. बृजेश कुमार यादव (विवेचक) के बयान को सुनकर अभियुक्त मनीष ने कहा है कि साक्षी द्वारा बयान में स्पष्ट कथन किया है कि प्रार्थी के पिता द्वारा बहन के साथ हुए एक दिन पूर्व छेड़खानी के बाबत वादी व साक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–255/2022 का विवेचना है। विवेचनापरान्त वादी व साक्षीगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया है। पी०डब्लू०–9. बृजेश कुमार यादव (विवेचक) के बयान को सुनकर अभियुक्तगण सुरेन्द्र

चौहान, रामईश्वर और मुन्ना चौहान ने कहा है कि साक्षी ने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त मनीष चौहान की बहन के साथ हुई छेड़खानी के बाबत कथित घटना के एक दिन पूर्व की घटना के बाबत वादी एवं साक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या – 255/2022 का विवेचना उपरान्त आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है और अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देना स्वीकार करते हुए अभियुक्त मनीष ने कहा है कि प्रार्थी निर्दोष है। कोई जुर्म नहीं किया है। दुर्घटना में आई चोटों को आधार बनाकर विवेचक को साजिश में करके फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी की बहन के साथ हुए छेड़खानी व मार–पीट कथित घटना के एक दिन पूर्व की घटना के बाबत मुकदमा अपराध संख्या – 255/2022, फर्जी कराया गया, जिसका काउन्टर केस फर्जी कथानक के आधार पर दर्ज कराया गया है। अभियुक्तगण सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना चौहान ने कहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, मुकदमे में रंजिश को लेकर जानबूझकर फंसाया गया है।

11. दिनांक–08.05.2026 को अभियुक्तगण मनीष, मुन्ना चौहान, रामईश्वर और सुरेन्द्र चौहान का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने साक्षी पी०डब्लू०–10. शिवाकान्त पाण्डेय (सीटी स्कैन टेक्निशियन) के बयान को सुनकर कहा है कि शिवाकान्त पाण्डेय (सीटी स्कैन टेक्निशियन) के बयान को सुनकर अभियुक्तगण ने कहा है कि डाक्टर रविश चन्द्र राय के डिजिटल हस्ताक्षर का दुरूपयोग करके पैसा देकर गलत रिपोर्ट तैयार किया है। साक्षी ने बयान में स्पष्ट कथन किया है कि "This report is not for medicolegal Purpose" यह एक प्राइवेट संस्था है। मरीज के सम्बन्ध में गहराई से जाँच या छानबीच नहीं किया जाता है। चोटों की गम्भीरता व प्रकृति का कोई साक्ष्य नहीं है। रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध है।

12. अभियुक्तगण के द्वारा बचाव पक्ष के पक्ष में डी०डब्लू०–1. मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल चौहान, डी०डब्लू०–2. विमला देवी पत्नी कन्हैया, डी०डब्लू०–3. ओम प्रकाश पुत्र विशुनी और डी०डब्लू०–4. कृष्ण मुरारी पुत्र रामनाथ को परीक्षित कराया गया है।

13. मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

15. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक–12.06.2021 को समय 07:00 शाम को ग्राम–पिडरा गोपाल टोला प्रविन्द्र के घर के सामने वादी मुकदमा के लड़के रवि के साथ एक नाजायज बलवा कारित किया गया, उसके ऊपर जान से मारने की नियत

से लाठी, डण्डा व लोहे की राड व ईट से हमला किया गया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया, बीच बचाव करने प्रविन्द्र की पत्नी ऊषा देवी आई तो उसके साथ भी लाठी, डण्डा से मारते–पीटते हुए दौड़ाया गया और घर में घुसकर जान से मारने की नियत से उषा देवी के सिर पर लोहे की राड से हमला किया गया, जिससे वे भी मौके पर ही बेहोश हो गयी। अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के लड़के व उषा देवी के साथ जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया गया है। अभियोजन कथानक की पुष्टि न्यायालय में परीक्षित समस्त साक्षीगण के साक्ष्य से हो रही है। आधात आख्या भी अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन कर रही है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तृत बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगणों को अभियोजन के द्वारा कपोलकल्पित साजिश के तहत पूर्व रंजिश को लेकर गलत रूप से इस आपराधिक कृत्य में फंसाया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा जानबूझकर अभियुक्तगण को इस अपराध में फंसाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों में विरोधाभाष है, जो घटना को पूर्ण रूप से संदिग्ध बनाते है। अभियुक्त पक्ष के द्वारा वादी के ऊपर पूर्व में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे बचने के लिए वादी पक्ष के द्वारा साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराकर फर्जी डाक्टरी रिपोर्ट तैयार कराकर अभियुक्तगण को फंसाया गया है। घटना के जो चश्मदीद साक्षी है, वे एक ही परिवार के सदस्य है। साक्षीगण के द्वारा सुनी–सुनाई बातों के आधार पर साक्ष्य दिया गया है। विवेचक के द्वारा दूषित विवेचना करके गलत आरोप–पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। इस आरोपति अपराध को कही से भी अभियोजन अपने साक्ष्य सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण की निर्दोषिता का तर्क प्रस्तुत करते हुए दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

17. यह कि अभियोजन के आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण–मनीष, विट्टू, सुरेन्द्र चौहान, मुन्ना और रामईश्वर के विरूद्ध धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है, जो निम्नलिखित हैः–

धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता 1860– जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह

दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता 1860– हत्या करने का प्रयत्न– जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाये, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है। जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता 1860– उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा–336 भारतीय दण्ड संहिता 1860– जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव–जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेप संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढ़ाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता 1860– जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिये जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधिक तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा–452 भारतीय दण्ड संहिता 1860– जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करे गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता 1860– जो कोई आपराधिक अभत्रास का

अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

18. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईशवर और मुन्ना के विरूद्ध धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित कर पाया है या नहीं?

उपरोक्त मामले के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

19. अभियोजन का अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक–12.06.2021 को समय 07:00 शाम को ग्राम–पिडरा गोपाल टोला प्रविन्द्र के घर के सामने वादी मुकदमा के लड़के रवि के साथ एक नाजायज बलवा कारित किया गया, उसके ऊपर जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा व लोहे की राड व ईट से हमला किया गया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया, बीच बचाव करने प्रविन्द्र की पत्नी ऊषा देवी आई तो उसके साथ भी लाठी, डण्डा से मारते–पीटते हुए दौड़ाया गया और घर में घुसकर जान से मारने की नियत से उषा देवी के सिर पर लोहे की राड से हमला किया गया, जिससे वे भी मौके पर ही बेहोश हो गयी। अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के लड़के व उषा देवी के साथ जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया गया है।

20. अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–1 के रूप में मुकदमा वादी विरेन्द्र चौहान पुत्र कोदई, उम्र–57 वर्ष, पेशा–खेती, साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर ने दिनांक–03.02.2024 को सशपथ बयान के मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि दिनांक–12.06.2021 को समय शाम 07:00 बजे उसका लड़का रवि उसके गाँव के अन्दर स्थित घर से निकल कर गाँव के बाहर वाले उसके दूसरे मकान पर जा रहा था और गाँव के प्रवीण चौहान के घर के सामने अभी पहुँचा था तो पुरानी रंजिश को लेकर उसके गाँव के सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, विट्ठू, मनीष, ईश्वर उर्फ राम ईश्वर, मुन्ना और हरिकेश ये सभी लोग मिल कर जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा और लोहे की राड से उसके लड़के को मारने लगे। वहाँ खड़ी ऊषा देवी घटना को देख कर बीच–बचाव करने लगी तो उसी लाठी, डण्डा और लोहे की राड से ऊषा देवी को भी मारने लगे, वे जान बचाने के लिए घर में भागी तो उनके घर में घुसकरे जानलेवा चोट पहुचाकर घायल कर दिये। मनीष ने ही लोहे की राड से ऊषा देवी को जान से मारने की नियत से उनके सिर पर मारा था। सभी अभियुक्तगण में से अभियुक्त मनीष ने लोहे की राड से उसके लड़के और ऊषा देवी को मारा था, और भी लोग लाठी, डण्डा लिये थे। घटना के समय चिल्लाने की आवाज सुनकर वह

स्वयं, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी और गाँव के अन्य लोग आ गये, तब अभियुक्तगण उसके लड़के और ऊषा देवी को मरा समझकर मौके से भाग गये, तब घायल उसके लड़के रवि और ऊषा देवी को पहले सरकारी अस्पताल, सुकरौली, फिर वहाँ से रेफर होने पर जिला अस्पताल रविन्द्र नगर पडरौना लाये, वहाँ से भी रेफर होने पर बी०आर०डी० मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में दवा इलाज हुआ। रचित हॉस्पिटल, गोरखपुर में भी दवा इलाज कराया गया था। मुकदमा वादी ने घटना की दरखास्त बोलकर लिखवाकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनवाकर दिनांक–13.06.2021 को थाना हाटा में देकर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान दरोगा जी उससे पूछ–ताछ किये थे। उसने घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी को बयान दिया था और घटना स्थल भी दिखाया था। नक्शा नजरी भी दरोगा जी बनवाये थे। बाद में उसने डाक्टरी और इलाज का कागज दरोगा जी को दिया था। मुकदमा वादी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/3 मूल तहरीर दिखाया और पढ़कर सुनाया गया, जिसे साक्षी ने सुनकर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक किया तथा प्रार्थना–पत्र व उस पर बने अपने स्वयं के हस्ताक्षर की पहचान किया और कहा कि यह वही दरखास्त है, जिसे मैंने थाना–कोतवाली हाटा में देकर मुकदमा दर्ज कराया था। साक्षी की पहचान पर इस प्रपत्र पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

जिरह द्वारा मुन्ना, सुरेन्दर व रामेश्वर:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल दस्तखत करना जानता हूँ, घर से थाना पांच–छ: कोश पर है। थाने पर मैं 13 तारीख को गया था, उस दिन मैं थाना पर नहीं गया था (घटना के दिन), थाने पर वह शाम को करीब आठ बजे पहुचा था। थाने पर वह अकेले गया, उसके साथ कोई नहीं गया था। थाने पर उसकी मुलाकात दरोगा जी से हुई थी। दरोगा जी से उसने सारी बात बताई थी, जब दरोगा जी ने पुरानी दरखास्त प्रदर्श क–1 नकल तहरीर हिन्दी वादी कागज संख्या–4क/3 लिखवा दिया तो उन्होंने कहा कि अब तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो, दरोगा जी ने स्वयं हस्ताक्षर लिया था। वह दरखास्त पर हस्ताक्षर बनाने के बाद दो तीन घण्टा थाने पर रहा था, फिर उसकी मुलाकात पहली बार थाने के बाद मेरे गाँव पर गये थे, उसके दो दिन बाद गाँव पर गये थे, वह समय नहीं बता सकता है। गाँव के बहुत से लोग आये होंगे, लेकिन जब वह घर पर था ही नहीं, इसलिए वह नहीं बता सकता। दरोगा जी से उसकी भेट चार–पाच बार हुई थी। घटना के बाद उसे याद नहीं है कि फिर उसने किसी कागज पर हस्ताक्षर किया या नहीं (मैंने किया होगा या नहीं मुझे याद नहीं है। जब घटना घटी उस समय उसके घर में उसकी पत्नी और नतनी घर में खाना बना रही थी। उन लोगों ने घटना को नहीं देखा

था, उसके गाँव में रास्ता चारो तरफ जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षीण, उसके गाँव में सौ, सवा सौ से ज्यादा आबादी नहीं होगी, उसके घर में दरवाजे के सामने एक नीम का पेड़ है। घर के पूरब राजमनी दुर्गा का घर है, घर से उत्तर उसके पट्टीदार खोदिना, सुरेन्द्र व हरीलाल का घर है। पश्चिम साइड में मंगरू, मन्टू, गंगा, कैलाश का घर है, दक्षिण गंगा, रामप्यारे, चन्द्रशेखर व श्री का घर है। उसका घर गाँव से बहर भी है, गाँव के बहर पूरब है, खेत में वह घर बनाया है, उसके घर के अगल–बगल उसके खेत में अन्य किसी का घर नहीं है, उनका घर उनके जमीन गाँव में है। वे लोग गांव वाले घर में रहते है और खेत वाले घर में भी रहते है, वह सोने जाता है, जब वह अपने खेत वाले घर में सोने जाता है तो सुबह में वही नहा, धो कर पूजा पाठ कर अपने गाँव वाले घर में जाता हूँ, मुन्ना का घर उसके गाँव वाले घर से थोड़ी दूर पर उत्तर पूर्व में ही मुन्ना का खेत वाला घर उत्तर दिशा में ही मुन्ना के पूरब में राजदेव का घर है और उत्तर पूर्व कोने पर छेदी का घर है, उसके पश्चिम में सदनी, रामजी और परविन्दर का घर है, उसके उत्तर में पुन्नी, दौलत और घमघर का घर है और सनेही, झूनफुन का घर है। घटना के वक्त मनीष पुत्र रामभवन के घर इनमें से कौन कौन आया था, मुझे नहीं पता। साक्षी ने स्वत: कहा कि घटना के वक्त ऊषा आयी थी, भजन और उनकी पत्नी आये थे, ओम प्रकाश व उनकी पत्नी आये थे और गांव के बहुत से लोग जुट गये, तब मुल्जिमान भाग गये, वह मौके पर ही था, पहले से ही था, तब घटना हुई।

प्रश्न:– इस घटना में आपको कोई चोट नहीं आई थी?

उत्तर:–मुझे धक्का देकर गिरा दिया था, कमर में चोट आई थी, लेकिन किसी मुल्जिमान नें मुझे लाठी, डण्डे से नहीं मारा था।

वह चोटों पर अपना डाक्टरी मुलाहिजा नहीं करवया था। मेडिकल से दर्द की दवा ली थी और हल्दी तेल का लेप दर्द हटाने के लिए कमर पर लगवाया था, जिस मेडिकल से वह दवाई लिया था, उसके दुकान मालिक का नाम विरेन्द्र ही है, जो कि पुदिना के घर पर किराये पर चलाते है। घटना के दुसरे दिन वह दवा लेने गया था, दरोगा जी को उसने अपना कोई दर्द नहीं बताया था। दरोगा जी को चोट नहीं दिखाया था। साक्षी ने स्वत: कहा कि उसका लड़के को चोट लगी थी, उसके चोट के आगे वह अपना चोट कैसे दिखाता, वह स्थान जहा से उसने घटना को देखा था, उस जगह को वह दरोगा जी को दिखाया था, दरोगा जी ने अगर नक्शा नजरी में या उसके बयान में उस स्थान को नहीं दिखाया है, जहाँ से उसने घटना देखा है तो उसका कारण वही बता सकते है। घटना के दिन दोनों तरफ से मार–पीट नहीं हुई थी, एक तरफा हुई थी, उसका लड़का गाँव के घर से बाहर वाले घर पर जा रहा था। घटना के समय उसका लड़का पूरी बाजू का बंटी और जिंस पहना हुआ था,

उस समय शाम के 07:00 बज का छिलमिल समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, मार–पीट के वक्त वह अपने लड़के से लगभग पांच कदम की दूरी पर था। मुल्जिमान हल्ला करके नहीं आये थे, पहले से बैठे हुए थे और वही मारने लगे। जब वह अपने लड़के को बचाने गया तो उसे धक्का मारकर मुल्जिमान गिरा दिये थे, यह मार–पीट दस–पन्द्रह मिनट होती रही, मुल्जिमान लोग अपने–अपने हाथ में लाठी–डण्डा अलग–अलग साइज का लाठी, डण्डा और राड लिए थे। घटना के बाद मुल्जिमान अलग–अलग रास्ते से भाग गये थे। दरोगा जी ने उससे मुल्जिमान के भागने के रास्ते के बारे में नहीं पुछा था, तो वह नहीं बताया था। ओमप्रकाश और उनकी पत्नी, भजन और उनकी पत्नी मौके पर आये और हल्ला किये तो गाँव के और भी लोग आये। उसके बेटे को मारने के बाद मुल्जिमान ऊषा को भी मारे–पीटे और फिर भाग गये। घटने के समय ऊषा साड़ी ब्लाउज पहनी हुई थी। ऊषा उसके गाँव की है, रवि और ऊषा के शरीर से बहुत सा खून बहा था, रवि और ऊषा के कपड़े खून से भीग गये थे और जमीन पर भी खून गिरा हुआ था। दरोगा और कोई पुलिस के अधिकारी जमीन पर गिरे हुए खून को खरोच कर नहीं ले गया है, खून से भीगे हुए कपड़े को कोई पुलिस या अधिकारी नहीं ले गये। मुल्जिमान मौके पर लाठी, डण्डा छोड़े नहीं थे, लेकर भाग गये थे। साक्षी ने स्वत: कहा कि इतना भी याद नहीं है कि मुल्जिमान लाठी, डण्डा छोड़कर या लेकर गये थे। उसे मालूम है कि उसे और उसके बेटे और नाती को छेड़खानी के केश में मुल्जिम बनाये है।

प्रश्न:– क्रास केस अपराध संख्या–255/2022, थाना–हाटा, अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506, 336, 427, 325, 308, 354, 452, 389 भारतीय दण्ड संहिता में ओमप्रकाश, बदरी, रामभजन उर्फ रामभजन पुत्र बदरी, रामक्यास पुत्र पवन, रवि पुत्र विरेन्दर, विरेन्दर पुत्र कोदई, प्रविन्द्र पुत्र राजदेव, ऊषा देवी पत्नी प्रविन्द्र, अखिलेश पुत्र दिनेश, मख्खु पुत्र महाजन व व्यास पुत्र रम्भी को मुल्जिम बनाया गया है?

उत्तर:– इस केस की जानकारी उसे नहीं है।

यह उसे मालूम है कि इस झगड़े के दौरान मनीष को कुछ चोटें आई थी, उसे यह मालूम नहीं है कि बिट्टू, इन्द्रावती, रामभवन, पूजा को कोई चोट आई थी की नहीं। वह पूजा को नहीं जानता है, जो रामभवन चौहान की बेटी है, फिर कहा कि रामभवन चौहान की बेटी है, मुझसे कभी किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी कि उसके बेटे ने पुजा के साथ कई बार छेड़छाड़ किया था।

यह कहना गलत है कि इसी शिकायत के कारण वह और उसके गोल के लोग धीरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जो कि नहर के किनारे रहते है, उनके घर के सामने मनीष, बिट्टू, इन्द्रावती और

पूजा को मारे–पीटे, कपड़ा फाड़ दिये और साईकिल तोड़ दिये। यह भी कहना गलत है कि हम लोगों ने मार–पीट, लाठी, डण्डा और ईट का प्रयोग किये था। यह भी कहना गलत है कि घटना के सभी तथ्य को छिपाते हुए वह झूठा बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखा थी। यह भी कहना गलत है कि विवेचक को कोई बयान नहीं दिया था। यह भी कहना गलत है कि कि थानाध्यक्ष हाटा और अन्य पुलिस अधिकारी के बाबत वह झूठी रपट लिखवा रहा है। यह कहना गलत है कि ऊषा देवी और रवि का मेडिकल भी डाक्टर के प्रभाव में लेकर फर्जी रूप से कराया गया था।

<u>मनीष और बिट्टू की तरफ से जिरह</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि जब घटना घटित हो गयी तो रामभजन मौके पर पहुचा, रामभजन के साथ दुर्गावती पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बदरी व रामभजन की पत्नी आई। रवि और ऊषा गिर गये थे, तब ये लोग घटना स्थल पर आये, वे लोग आटो से घायलों को सुकरौली सरकारी अस्पताल ले गये थे। गाँव वालों ने गाड़ी मंगाई थी, टेम्पू था कि मारूती उसे याद नहीं है। गाड़ी कौन बुलाया यह भी उसे याद नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि वाहन किसका था, गाँव वाले या बाहर वाले किसका था, यह जानकारी नहीं है, आज तक जानकारी नहीं है। उसे याद नहीं है कि गाड़ी में कितने लोग थे, उस गाड़ी में रवि और ऊषा के अवाला दो तीन लोग बैंठे थे, लेकिन कौन लोग बैठे थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि घटना के कितने देर बाद गाड़ी आया होगा, बीस–पच्चीस मिनट बाद आया होगा। उसका नाती जो 11 में पढ़ रहा था वही मोटरसाईकिल चला रहा था, वह उस पर बैठकर नहीं गया था। वह शैलेन्दर की गाड़ी पर बैठकर गया था, गाड़ी शैलेन्द्र का भतीजा चला रहा था, उसका नाम वह इस समय भूल गया है, दोनों घायल जिस गाड़ी से जा रहे थे और वह पीछे दूसरी गाड़ी से था। वह उस समय घड़ी नहीं पहना था, वह नहीं बता सकता की हास्पिटल कितने समय में पहुँचा था, उसके गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी लगभग 6–7 किलोमीटर की दूरी पर है। गाँव से ब्लाक आने पर लगभग 20–25 मिनट का समय लगता है, उस समय ऊषा का पति परविन्दर घर पर नहीं था, कही घूमने गया था, घटना के समय नहीं मिले थे, सुकरौली दवा–इलाज के समय मिले थे, सुकरौली में घायलों के इलाज के सम्बन्ध में कोई पर्चा बना था कि नहीं बना था, उसे याद नहीं है। हास्पिटल के अन्दर दोनों चोटहिलों को डाक्टर ले गये थे, देखे थे, क्या–क्या दवा इलाज किये थे, उसे याद नहीं है। कुछ देर बाद जिला अस्पताल रेफर करके जाने के लिए बोले थे। सुकरौली में घायलों का डाक्टरी मुलाहिजा हुआ था कि नहीं उसे नहीं पता। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि घायल के साथ डाक्टर

साहब के पास कौन–कौन था, सुकरौली में जब उसकी घायलों से मुलाकात हुई तो वह बेहोश थे, कभी होश में आ जाते थे कभी बेहोश हो जाते थे। सुकरौली में दवा इलाज में जो खर्चा हुआ, वह उसने किया था। सुकरौली दवा इलाज में कितना पैसा लगा वह नहीं बता सकता। सुकरौली में आधा घण्टा या 20–25 मिनट रूके थे, जब हम लोग पहुचे तो डाक्टर साहब अपने आवास पर ही थे, जो पास में ही है, जिनको सूचना देने पर डाक्टर साहब देखने के लिए आये थे। सुकरौली से डाक्टर साहब ने रेफर किया तो उसी गाड़ी, कार, आटोरिक्सा में बैठाकर जिला अस्पताल कुशीनगर के लिए रवाना किया। दोनों घायल गाड़ी में गाँव से ही लेटा कर आये थे, फिर सुकरौली से जिला अस्पताल लिटाकर ही रवाना हुए थे। इतना उसे नहीं मालूम कि यह लोग गाड़ी में तेल भरवाये या नहीं, मोटरसाईकिल में रूक कर सुकरौली में तेल भरवाया था, अस्पताल से निकलने के बाद मोटरसाईकिल तेल भरवाया था। वे लोग जब तेल भराने निकले तो चोटईल की गाड़ी जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गयी थी। वे लोग तेल भराकर पीछे–पीछे आये। चोटहिलों की मरहम पट्टी सुकरौली में हुआ था, ऊषा और रवि के सर पर पट्टी बंधा था, जिला अस्पताल पहुचते ही वहाँ से डाक्टर साहब ने बिना दवा किये रेफर कर दिये, जहाँ लगभग चालीस मिनट का समय लग गया था। जिला अस्पताल में वह चोटहिलों के पास मौजूद था। पैसा कितना लगा वह बता नहीं सकता, कोई डाक्टरी मुलाहिजा जिला अस्पताल में नहीं हुआ था। जिला अस्पताल पर किस गाड़ी से गये थे, इसका उसे पता नहीं है, वह पैसे लेने चला गया था। वह घायलों को सुकरौली में छोड़कर अपने गाँव चला गया, घायलों को इलाज के लिए शैलेन्द्र, सचीन, भतीजा अरविन्द इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज लेकर चले गये थे। जब वह पैसा लेकर गाँव पहुचा तो मेडिकल कालेज पर मुलाकात हुई थी, वे लोग घायलों को लेकर रचित हास्पिटल में आ गये, लगभग दो–ढ़ाई बजे रात में भर्ती कराया था। वह लगभग सुबह आठ बजे अपने घर चला गया, पैसो की व्यवस्था कर अगले दिन पुन: गोरखपुर चला गया। वह घटना के अगले दिन आठ बजे से पूरे दिन और पूरी रात अपने गाँव अपने घर पर ही था। जब वह दूसरे दिन गया तो एक दिन रूका हुआ था। घायलों के सि०टी० स्कैन के समय वह मौजूद नहीं था। दरोगा जी दो बार गोरखपुर गये थे, दोनों बार उससे मुलाकात नहीं हुई थी, उसके लड़के की मुलाकात हुई थी। दरोगा जी 13 तारीख को गोरखपुर गये थे और 13 तारीख को शाम को वह थाने में मुकदमा जाकर लिखवाया था, 13 तारीख को सुबह दरोगा जी गोरखपुर गये थे। रचित हास्पिचल में दरोगा जी 13 तारीख में गये थे। वही दरोगा जी मुकदमें की विवेचना में जाँच करने उसके गाँव आये थे, जब वह मुकदमा दर्ज कराने थाने पर गया तब दरोगा जी थाने पर थे, दूसरी बार गोरखपुर दरोगा जी

जब गये थे, तब भी गोरखपुर हास्पिटल में उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। दूसरी बार जब गोरखपुर गये थे, उसके पहले उसकी भेट नहीं हुई थी। मुकदमा दर्ज होने व दुसरी बार गोरखपुर जाने के पहले दरोगा जी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। जब दवा चल रही थी तो तब दवा, ईलाज का कागज इलाज वाले फाईल में लगी थी। जब तक दवा चला, दवा इलाज वाला कागज हास्पिटल में ही था। उसने उस समय फोटों नहीं कराया था, दवा का कुछ कागज उसने दरोगा जी को दिया था, जब दिया गया था तो दिन और तारीख याद नहीं है, कुछ दिन बाद दिया था। दरोगा जी को कुछ कागज जो दिया था, वह लड़के के डिस्चार्ज होकर घर आने के पहले दिया था। जब उसने एफ०आई०आर० दर्ज कराया था तो उस समय भी दवा इलाज का कुछ कागज दिया था। घटना जब हुई, उस समय उसका लड़का उसके गांव वाले घर से बाहर वाले घर पर जा रहा था और वह खेत देखकर परविन्द्र के दरवाजे पर पहुच गया था। उसका लड़का और वह अलग–अलग तरफ से विपरीत दिशा से आ रहे थे। परविन्द्र के दरवाजे पर पहुचे थे, जब ये घटना घटी तो वह अपने लड़के से पांच कदम की दूरी पर था। वह वहाँ बिट्टू को भी देखा था, वह अपने हाथ में लाठी लिए हुए था, बिट्टू अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए था। सभी लोग और बिट्टू मारे थे, बिट्टू लाठी से मारे थे, कितने लाठी मारे उसे अन्दाजा नहीं है, यह कि बिट्टू दो चार लाठी रवि को मारे थे। बिट्टू ने शरीर पर मारा था, ऊषा देवी को भी शरीर पर मारे थे, बिट्टू ने दो–चार लाठी ऊषा देवी को मारा था। हरिकेश के भी हाथ में लाठी थी, हरिकेश ने भी लाठी चलाया था, कितना चलाया था, उसे नहीं मालूम। अभियुक्तगण के धक्का देने से वह बगल में गिरा हुआ था, उसने अभियुक्तगण को मारते हुए देखा था, लाठी नहीं गिना। वह नहीं कह सकता है कि किस अभियुक्त ने कितनी लाठी चलाया था, नहीं गिना था। यह कहना मुश्किल है कि एक बार लाठी चलाई गयी थी या दस बार। रवि को 10–20 मिनट तक मुल्जिमान मारते रहे। घटना स्थल पर मुल्जिमान पहले से धात लगा कर बैठे थे, घटना स्थल पर बांस का घूट नहीं है। यह वह नहीं बता सकता है कि मुल्जिमान लोग पहले से घात लगाकर किसके घर में बैंठे थे।

घटना स्थल के पश्चिम लगभग 50 कदम दूरी पर बास की खुट है, बांस के खूटे के पास ओम प्रकाश का घर नहीं है। बांस के खुट के पास रामभवन का घर है। घटना जब शुरूआत हुई तो ऊषा अपने घर में थी। घटना से ऊषा का घर लगभग 10 कदम की दूरी पर है। ऊषा का सड़क के दोनों तरफ घर है। घटना की जब शुरूआत हुई, ऊषा घटना स्थल से पश्चिम वाले घर पर थी। जब ऊषा घर से निकली और उसके बेटे को गिरा हुआ देखी तो हल्ला की। मुल्जिमान ने ऊषा को उसके घर में दौड़ाकर मारा था। मुल्जिमान ने रवि

को मारने के बाद मुझे नहीं मारा। वह पांच कदम की दूरी पर गिरा हुआ था, जब उसके बेटे को मुल्जिमान मार रहे थे तो वह भी बचाने के लिए चिल्ला रहा था।

यह कहना सही है कि उसके चिल्लाने के बाद भी मुल्जिमान उसे नहीं मारे।

उसे मालूम नहीं की ऊषा व रामभवन के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद है। मुल्जिमान का उसके बेटे से पहले भी झगड़ा हो चुका था, उसीका रंजिश था।

यह कहना गलत है कि रवि ने मुल्जिमान मनीष की बहन पुजा के साथ एक दिन पहले छेड़खानी की थी और इसकी शिकायत रामभवन के परिवार वालों ने उससे किया, जिस कारण उसने यह झूठा मुकदमा लिखवाया। घटना के बाद भवन व उनकी पत्नी और गाँव के कई लोग आ गये। तब मुल्जिमान भागे थे। उनके हल्ला करने के बाद भागे, वह बता नहीं सकता कि इनके अलावा कौन–कौन से लोग हल्ला करने में थे।

यह कहना गलत है कि उसने घटना स्थल रामब्यास, परविन्दर, अखिलेश, मख्खु और व्यास को भी घटना स्थल पर घटना करते देखा था और जानबूझकर नाम नहीं बता रहा हूँ।

घटना के बाद जब ये लोग जमा हुए तो मुल्जिमान की तरफ से ईट–पत्थर भी चलाया गया था। हम लोगों की तरफ से कोई ईट–पत्थर नहीं चलाया गया था।

यह कहना गलत है कि उसके बेटे और ऊषा को सर पर ईट गिरने से चोट आई थी। यह भी कहना गलत है कि वह वही ईट थी, जो भीड़ के द्वारा चलाई जा रही थी।

वह यह नहीं बता सकता कि कितने लोग ईट चला रहे थे। वह यह भी नहीं बता सकता कि रामभवन का टीनसेड भी मुल्जिमान द्वारा चलाये ईट के कारण टुटा था। यह मुझे जानकारी नहीं है कि रामभवन का भी अंगुली टूट गया था।

यह कहना गलत है कि मनीष, बिट्टू, इन्द्रावती और पुजा को भी चोटें आई थी। यह भी कहना गलत है कि इन चारों को हम लोगों द्वारा मारे जाने के कारण चोटे आई थी। यह कहना गलत है कि वह घटना स्थल पर नहीं था, इसलिए हमारे पक्ष के लोगों द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को चोट पहुँचाने की बातों से अनजान हूँ।

साक्षी ने स्वत: कहा कि दुसरे पक्ष को कोई चोटें नहीं आई था। यह कहना गलत है कि अपने लड़के को उसके विरूद्ध जो मुकदमा पंजीकृत है, उसको बचाने के लिए आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।

21. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में पी०डब्लू०–2 के रूप में रवि पुत्र विरेन्द्र, उम्र–32 वर्ष, साकिन–गोपाल टोला, थाना–हाटा, जनपद–कुशीनगर ने दिनांक–28.02.2024 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि घटना आज से करीब ढाई वर्ष

पर्व दिनांक 12.06.2021 की सायं 7:00 बजे की है। वह अपने गाँव वाले घर से गाँव के बाहर स्थित घोठा पर जा रहा था तो उसके गाँव के परविन्दर के घर के सामने अभी वह पहुचा था कि वहां से पहले मौजूद सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, बिट्टू, मनीष, ईश्वर उर्फ रामईश्वर, मुन्ना और हरिकेश एक राय होकर उसे घरकर मारने–पीटने लगे व गाली–गुप्ता देने लगे। सभी लोग हाथ में लाठी–डण्डा लिए हुए थे, मनीष लोहे की राड लिए हुए था। मुल्जिमान द्वारा उसे मारने–पीटने पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे झुड़ाने के लिए परविन्दर की पत्नी ऊषा देवी अपने घर से बाहर बीच–बचाव करने के लिए आ गयी। मुल्जिमान उनको भी मारे–पीटे तथा उनको घर में दौड़ा दिये। उनके सिर पर मुल्जिमान द्वारा राड से मारने पर गम्भीर चोटें आई थी। मुल्जिमानों के मारने से उसे भी चोट आई थी। मुल्जिमानों के द्वारा राड से उसके सिर पर मारने से बायें तरफ गम्भीर चोट आई थी। मनीष लिए हुए राड से उसके सिर पर और ऊषा देवी के सिर पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह मौके पर ही लतफत होकर गिर पड़ा था। शोर की आवाज पर गाँव के और लोग भी मौके पर आ गये थे। उन लोगों को दवा इलाज के लिए लाद, फांदकर अस्पताल ले जाया गया था।

उसकी गम्भीर स्थिति होने पर रचित हास्पिटल, गोरखपुर में दवा इलाज उसके परिजनों द्वारा कराया गया था। मुल्जिमान के द्वारा पहुचाई गयी चोट के कारण आज भी उसके सिर में दर्द बना रहता है। घटना के सम्बन्ध में वही पर दरोगा जी ने उससे पूछताछ किये थे और उसने अपना बयान दिया था।

<u>**जिरह द्वारा अभियुक्तगण सुरेन्द्र, रामईश्वर व मुन्ना**</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि उसका नाम रवि प्रताप है। उसकी उम्र–32 वर्ष है, उसके पिताजी का नाम वीरेन्द्र चौहान है, वह कक्षा 5 तक पढ़ा है, दस्तखत करना जानता है, वह हिन्दी थोड़ा–थोड़ा पढ़ लेता है, उसे उसकी जन्मतिथि याद नहीं है, आधार कार्ड में लिखा होगा। वह बनचरा विद्यालय में पढ़ा है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी 2024 में हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सलोनी देवी है, वह पहले टायर का काम करता था, अब प्रिंटिग प्रेस का काम करता है। वह तमिलनाडु में कार्य करता है, वह दो भाई है और एक बहन है, वह मझला है, बहन उससे बड़ी है, भाई उससे छोटा है, जब वह बाहर कमाने जाता है तो दो माह, तीन माह, पांच माह निर्धारित नहीं है कि कब तक बाहर रहता है, पहले से ज्यादा कमाता था, अब कम कमाता हूँ, अब चोट लगने के कारण चक्कर आता रहता है, वह प्रतिमाह 12 हजार रूपया कमा लेता है। उसे न्यायालय से गवाही देने के लिए कागज मिला था। मेरी मुलाकात दरोगा जी से किस तारीख को हुई है यह मुझे मालूम नहीं है, उसकी मुलाकात दरोगा जी से दो बार हुई थी, किस तारीख को हुई थी

इसकी जानकारी उसे नहीं है, वह गोपाल टोला का रहने वाला है, जो तहसील हटा में स्थित है, उसके गांव में डेढ़ सौ घर हैं, जिसमें हजारों लोग रहते हैं, उसका घर गांव के अंदर है, जहां कुआं है, पूरब तरफ बृजेश का घर है और सुनील और कई लोगों का घर है, पश्चिम में दीना और नगीना का घर है और बहुत से लोगों का घर है, जिसका नाम नहीं बता सकता और उत्तर में राजेंद्र का घर है जो उसके पाटीदार हैं और उत्तर में वकील चौहान और बहुत से लोगों का घर है। वह बेहोश होकर गिर गया था, उसे नहीं मालूम कि कौन–कौन आया था, वह बेहोश था, उषा का घर 50 कम की दूरी पर है, उसके घर के पश्चिम उषा देवी का घर है। उसके घर के बीच में 5–6 घर हैं, उसके घर और उषा के घर बीच में कितने लोग आए थे, वह नहीं देखा, क्योंकि वह बेहोश हो गया था, वह प्रिंटिग का काम करता है और बाहर रहता है, वह प्रिंटिंग प्रेस का काम करता है, वह अपने घर से घोठा पर जा रहा था, वह घर पर घूमने के लिए आया था, वह 10–15 दिन पहले घर आया था, हाटा उसके घर से 13–14 किलोमीटर और सुकरौली 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वह कहीं नहीं जा रहा था, बल्कि घोठा पर जा रहा था, जून का महीना था गर्मी पड़ रही थी, वह पैंट पहना था और चड्डी पहना था, वह ऊपर क्या पहना था याद नहीं है, बाद में बोला शर्ट पहना था, उसे मालूम नहीं किस रंग का शर्ट पहना था, घर से घूमने के लिए वह 7:00 बजे जा रहा था, वह अकेले था उसके साथ कोई नहीं था। उसकी पत्नी शाय में नहीं थी, उसके घर से पश्चिम मुल्जिमान सुरेंद्र का घर है, उसके और सुरेंद्र के घर के बीच 50 लोगों का घर है, सबका घर नहीं जानता, उसके घर से पूरब रामेश्वर का घर है और मुन्ना का घर है, उसके घर से पूरब भी रामेश्वर और मुन्ना के बीच 10–15 लोगों का घर है, वह यह नही देख सका कि मुल्जिमान किस–किस दिशा से आये थे, क्योंकि चोट लग गई तथा वह बेहोश हो गया था, वह यह भी नहीं बता सकता कि कपड़े पर खून लगा था या नहीं लगा था, वह कुशीनगर अस्पताल में कब गया उसे याद नहीं है, कौन–कौन ले गया, यह भी उसे याद नहीं है, फिर कहां उसके घर वाले ले गए होंगे, उसके पिताजी रपट दर्ज करने गए थे, यह उसे मालूम नहीं है, क्योंकि वह हॉस्पिटल में था, उसकी लड़की का नाम रिया है, उसे जानकारी है कि उसके विरुद्ध अपराध संख्या–255/2022, धारा–147, 323, 504, 506, 336, 427, 325, 308, 354, 452, 379 भारतीय दण्ड संहिता, जिसमें उसके अलावा ओमप्रकाश, बदरी, भजन उर्फ राम भजन उर्फ बढ़ाई, रामक्यास उर्फ जतन, रवि पुत्र वीरेंद्र, वीरेंद्र पुत्र कोदई, प्रवीण पुत्र राजदेव, उषा देवी पत्नी रविंद्र, अखिलेश पुत्र दिनेश, लख्खु पुत्र महाजन, क्यास पुत्र रामजी भी मुल्जिम है।

यह कहना गलत है कि उसी क्रास केस से बचने के लिए झूठा मुकदमा मैंने

लिखवाया है। यह भी कहना गलत है कि मैं घटना के सही प्रारूप व तथ्य को छिपाकर झूठा बयान दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं फर्जी मेडिकल तैयार कराया हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैने विवेचक को कोई बयान नहीं दिया था। यह भी कहना गलत है कि मैंने अनजाने में झूठा बयान दे रहा हूँ।

<u>जिरह वास्ते बिट्टू और मनीष</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मेरे विरुद्ध रामभवन पुत्री पूजा ने छेड़खानी व मनीष, रामभवन, इन्द्रावती व बिट्टू के मारने–पीटने के बाबत थाने पर मुकदमा पंजीकृत था, इस बात की जानकारी उसे है, जो मुकदमा अपराध संख्या–255/2022 को कोतवाली हटा में पंजीकृत है। अभी जो मुकदमा कसया कराया था, उसका उसने जमानत नहीं कराया था, कसया में जो मुकदमा हुआ था, उसपर उसने हस्ताक्षर किया था।

प्रश्न– आपको मुकदमे की जानकारी के बावजूद मुकदमा जो कसया में लंबित है, उसमें जमानत किस कारण से नहीं कारण है?

उत्तर – इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है, उसके पापा को है।

आज न्यायालय में उसके पिताजी उसके साथ आए हैं और उसके पीछे न्यायालय में खड़े हैं, मुकदमे की पैरवी उसके पापा ही करते है, वह बाहर काम कर रहा था उसके पापा ने ही फोन करके उसे बुलाया है, उन्हीं के साथ वह आया है, उसके पापा उसे अपने साथ लेकर ही गवाही के लिए आते है, अकेले में नहीं आ पाता, उसके दिमाग पर जब से चोट लगी है, काम नहीं करता है। जब वह प्रिंटिंग करता है तो तीन अन्य लोगों के साथ काम करता है, कभी–कभी दिमाग गड़बड़ा आता है, जब वह काम का टेंशन लेता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तमिलनाडु से वह अपने भाई के साथ आया है, वह अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, ट्रेन में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं इधर आने (घर से कचहरी आने पर वह अपने पिताजी के साथ आता है।)

यह कहना सही है कि उसके पिताजी मुकदमें के बारे में उसे फोन के जरिये और मिलने पर मौखिक बताते है। उसने अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि गवाही में आप से क्या–क्या पुछा गया था। वह शराब कभी–कभी पी लेता है, हमेशा नहीं पीता है, दोस्तो के साथ कभी शराब पी लेता है। 10–11 तारीख को शराब पीने के बाद मनीष से उसकी कोई कहा–सुनी नहीं हुई थी, घटना के समय उसने रामभजन को नहीं देखा था, उसने घटना के समय अपने पिताजी को देखा था, जो उससे लगभग पंद्रह कदम की दूरी पर थे, उसके पिताजी उसे आमने–सामने से आते हुए क्रास (आर–पार) करके पंद्रह कदम आगे चले गये थे, उसके पिताजी पन्द्रह कदम उससे पीछे हो गये थे और वह उनसे पन्द्रह कदम आगे हो

गया था। जब घटना हुई तो आगे से बटन खुलने वाला शर्ट पहना था, उसके शर्ट पर खून लगा था कि नहीं, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। मुलजिमान उसके सामने से आकर उसे मार पीटे थे। मुल्जिमान अचानक से मारने–पीटने लगे, उनके बीच कोई कहा सुनी नहीं हुई थी, बिट्टू के हाथ में लाठी था, हरकेश के हाथ में लाठी था, सुरेंद्र के हाथ में भी लाठी था, कितना लाठी मारा था गिना नहीं था, क्योंकि मुझे चोटें लगी थी। मैं यह नहीं गिन पाया कि उसे कितनी लाठी लगी थी, लगभग कितनी लाठी लगी थी मैं गिना नही।

वह यह नहीं कह सकता है कि उसे 10 लाठी लगी थी या उससे ज्यादा, उसके बाद उसे सर पर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया, जब वह मौके पर बेहोश हो गया उसके दो दिन बाद रचित हॉस्पिटल में उसे होश आया, जब वह बेहोश था उसे दौरान क्या–क्या हुआ, उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे बीच में इस दौरान होश नहीं आया था। उषा को मारते हुए दौड़कर उसने अपनी आंखों से देखा था, उषा को उसके दरवाजे पर मारे थे, उषा के घर में घुसकर मुल्जिमान नहीं मारे थे, मनीष उसे मार कर उसके बाद उषा को मारने गए थे, मनीष उषा को जब मारे थे तो, मारते हुए उसने देखा था, उसे मार दिए, वह बेहोश हो गया, उसके बाद उषा को मारे, मार खाते समय उसे उसके पिताजी उसे बचाने आए थे कि नहीं, उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। उषा अपने घर में से उसे बचाने आई, घटना स्थल से उषा का दरवाजा 15 कदम की दूरी पर है, घटना स्थल पर ईट–पत्थर भी हुआ था, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। उसे 48 घंटे बाद होश आया था। दरोगा जी उसे दो दिन बाद रचित हॉस्पिटल में मिले थे जहां घटना घटी थी वहां बास का खट है, उसी के बाद पश्चिम राम भवन व मनीष का घर है। वहीं घटना स्थल के उत्तर साइड में दयाराम चौहान का मकान भी है। घटना के पश्चिम राम भवन का घर है। उसका दवा इलाज कहा हुआ, इसकी जानकारी उसे नहीं है, जब उसे होश आया तो उसका कपड़ा बदल दिया गया था। उसके परिवार और रामभवन के परिवार से इससे पहले कोई मुकदमा रंजीशन नहीं था। उसके गाँव में प्रधानी चुनाव को लेकर दो गुट चलता है, एक गुट के वोटर हम लोग है और दूसरे गुट के दूसरे लोग है।

यह कहना गलत है कि रामभवन की पुत्री पुजा के छेड़खानी को लेकर मुकदमें से बचने के लिए दुर्घटना में आयी चोटों को आधार बनाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी कहना गलत है कि न्यायालय में सही बात को न बता कर झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत कि मैंने किसी मुल्जिमान को घटना स्थल पर नहीं देखा।

22. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–3 के रूप में उषा देवी

(चोटहिल), उम्र–36 वर्ष, साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर ने दिनांक–06.08.2024 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि घटना आज से करीब 3 वर्ष 2 माह पूर्व दिनांक–12.06.2021 को शाम 07:00 बजे की है। उस समय वह अपने घर पर थी, उसके गाँव के रवि अपने गांव वाले घर से अपने दूसरे घर घोठा पर जा रहा था, अभी वो उसके दरवाजे पर पहुचा ही था कि वहाँ पहले से ही उसके गांव के सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, मनीष, ईश्वर उर्फ रामईश्वर, बिट्टू, हरिकेश और मुन्ना अपने हाथ में लिए लाठी, डण्डा और राड एक गोल बनाकर रवि को मारने–पीटने लगे। शोर की आवाज सुनकर वह अपने घर से बाहर आकर रवि को छुड़ाने के लिए पहुची तो मुल्जिमान उपरोक्त ने अपने हाथ में लिए लाठी, डण्डा राड से उसे भी मार–पीटकर घायल कर दिये। वह जान बचाने घर में भागने लगी तभी मुल्जिमान ने उसके घर में घुसकर उसे भी भी मारा–पीटा। मनीष ने अपने हाथ में लिए राड से उसके सर पर प्रहार किया। मुल्जिमानों द्वारा पहुचाई गयी चोटों से वह गम्भीर रुप से घायल हो गयी। थोड़ी देर बाद सोर सुनकर गाँव के बहुत से लोग मौके पर आ गये, बेहोशी की हालत में उसे दवा इलाज हेतु जिला अस्पताल, कुशीनगर लाये थे, जहाँ से उसकी दवा इलाज हुई, उसके बाद गोरखपुर प्राइवेट अस्पताल में दवा कराया, जहाँ कई दिनों तक रहकर उसकी दवा इलाज चला था। मुल्जिमानों द्वारा पहुचाई गयी चोट के कारण वह काफी दिनों तक अस्पताल में रही थी, आज भी उसकी उन चोटों का दवा इलाज चलता है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी उससे पूछ–ताछ किये थे और उसने दरोगा जी को बयान दिया था।

<u>जिरहा द्वारा बचाव पक्ष:–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मेरा नाम ऊषा देवी है। मुझे मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। मेरे गाँव पिपरा गोपाल टोला है। आज मैं यहा पर गवाही देने आई है। रवि के पिता जी उसको साथ लेकर आये है। उसे होश रचित हास्पिटल, गोरखपुर में आया था, उसके पहले वह पूरी तरह से अचेत थी, जब वह बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रचित हास्पिटल गोरखपुर में उसे पांच दिन बाद होश आया था, उसके पूर्व में उसे एक भी बार होश नहीं आया ता। घटना के दिन ईट, पत्थर चलते वह नही देखी थी। उसके घर से व मनीष के घर से पूर्व में कोई विवाद नहीं था। रामईश्वर, मुन्ना, बिट्टू, धिरेन्द्र व सुरेन्द्र के घर से भी किसी प्रकार का पूर्व में कोई विवाद नहीं रहा है। उसकी जानकारी में रवि, बिट्टू, मनीष के घर के भी पूर्व में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। बिना किसी पुरानी रंजिश के ही अचानक से मार दिये थे, कोई कहा–सुनी भी नहीं हुआ

था, घटना शाम के समय का था, अंधेरा हो गया था। घटना के समय वह अपने दरवाजे पर अपने बच्चे को खेला रही थी, बच्चे एक तीन साल व एक एक साल का था, जिसे वह खेला रही थी। सभी सातो मुल्जिमान पहले से ही उसके दरवाजे पर लाठी–डण्डा लेकर खड़े थे। मुल्जिम कितने समय से उसके दरवाजे पर खड़े थे, बताई की दस मिनट से उसके दरवाजे पर खड़े थे। वह रवि के पिता विरेन्द्र को घटना के समय अपने दरवाजे पर नहीं देखी थी। सभी मुल्जिमान पहले रवि को घेर कर मारे थे। वह रवि को बचाने गयी थी। वह अपने हाथ में डण्डा पैना नहीं ली थी, वह रवि को छुड़ाने गयी तो रवि का सर फट गया था, रवि को वह जब तक छुड़ाने गयी, तब तक रवि बीस–पचीस डण्डा पिटा गये थे। जब वह छुड़ाने गयी तो रवि बेहोश हो गये थे, वह इस विश्वास पर रवि को छुड़ाने गयी कि उसके छुड़ाने पर सब लोग रवि को छोड़ देंगे। जब वह छुड़ाने गयी तो रवि को छोड़कर सभी लोग डण्डा, पैना, राड से उसे मारने–पीटने लगे। उसे बिट्टू ने लगभग दस डण्डा मारा था। हरिकेश ने भी मारा था, कितना डण्डा मारा था, याद नहीं है।

प्रश्न– मनीष आप को कितने डण्डे मारे थे?

उत्तर– मनीष मुझे लोहे की राड से मारे थे, जब मैं जान बचाकर वहाँ से भागना चाही थी तो गिर गयी थी और बेहोश हो गयी।

बिट्टू मेरे सर पर मारे थे कि नहीं, बेहोश हो गयी थी, उसके बाद मैं नहीं जान पाई कि मेरे साथ क्या–क्या हुआ। अभियुक्तगण रामईश्वर, मुन्ना, धिरेन्द्र व सुरेन्द्र उसे मारे थे, रवि के छुड़ाते वक्त मुझे मारे थे। सभी लोग मिलकर उसे लाठी, डण्डा राड से तीस–चालीस बार मारे थे। जब वह छुड़ाने गयी थी तो वह अपने लड़के को छोड़कर गयी थी। उस घटना में उसके लड़के को कोई चोट नहीं आई थी, उसके दरवाजे से घटना स्थल की दूरी लगभग 50 फीट की दूरी पर है। जब वह छुड़ाने गयी तो वहाँ उसे मुल्जिमान मारे थे। जान बचाने के लिए अपने घर में घुसी, घटना के समय बिजली का बल्ब जल रहा था। बेहोश होने के बाद उसे कहा–कहा ले गये, उसे जानकारी नहीं है। उसके पति घटना के समय घर पर नहीं थे, उसके मायके गये थे। उसके घर से उसके मायके की दूरी याद नहीं है। उसे इलाज के लिए उसके गांव वाले अस्पताल ले गये थे। दरोगा जी से उसकी कोई भेट मुलाकात नहीं हुई है। उसके बच्चे के पापा बता रहे थे कि जब वह बेहोश थी तो मेरे पास दरोगा जी आये थे, जब वह होश में आई थी, तो रचित हास्पिटल में गये तो घटना के बाद दरोगा जी से मुलाकात हुई थी। रचित अस्पताल से जब वह घर आई तो दरोगा जी से मुलाकात हुई थी। लगभग दस दिन बाद वह घर आई थी, तब दरोगा जी से मुलाकात हुई थी। जब वह घर आई तो

चल नहीं पा रही थी, वह बिस्तर पर थी, दरोगा जी बिस्तर के पास आकर उससे मुलाकात किये थे। दरोगा जी उसका बयान उसके घर पर लिये थे। दरोगा जी रचित अस्पताल में भी उसका बयान लिये थे। उसके ऊपर मुकदमा हुआ है। उसकी जानकारी में है। मुकदमा उसकी जानकारी में आभी चालू नहीं है। रामभवन की पुत्री के साथ छेड़खानी का मुकदमा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है। परविन्दर के खिलाफ उसकी जानकारी में मुकदमा नहीं हुआ है। कोर्ट रूम के बाहर वादी मुकदमा, चोटहिल के पिता खड़े है। उसने विरेन्द्र को न्यायालय में नहीं देखी है। जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ बास की कोठ थी, वह ओम प्रकाश, राम भजन व दुर्गावती को घटना स्थल पर देखी थी, ये लोग अपने दरवाजे पर खड़े थे और छुड़ाने नहीं आये थे। उसके सिर के अलावा कन्धे के नीचे छाती पर, कमर के नीचे जंघे पर चोटें लगी थी। पूरी छाती पर चोट आई थी, काला हो गया था। रवि के घर से उसके घर की दूरी वह नहीं बता सकती। उसके घर से उत्तर की तरफ रामभवन का घर है। रामभवन को वह घटना स्थल पर नहीं देखी थी। रवि उसके गाँव में से आ रहे थे, घोठे की तरफ जा रहे थे। वह घटना के समय जाते देखी थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक दिन पहले रामभवन, ओमप्रकाश, परविन्दर व रवि ने शराब पीकर आपस में कोई झगड़ा किया था। उसे जानकारी नहीं है कि मनीष, पूजा, बिट्टू की किसी झगड़े में चोटें आई थी कि नहीं।

यह कहना गलत है कि घक्का, मुक्की में ईट पर गिर जाने के कारण चोटें आई थी। जान बूझकर न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने ओम प्रकाश, रामक्यास, रामभजन, दुर्गावती, परविन्दर के साथ मलिकर मनीष के साथ झगड़ा किया था, उससे बचने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया है।

23. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–4 के रूप में ओम प्रकाश पुत्र बदरी, उम्र–49 वर्ष, साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर ने दिनांक–09.10.2024 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि घटना दिनांक 12.06.2021 को शाम 7:00 बजे की है, इस समय उसके गांव के वीरेंद्र चौहान के लड़के रवि अपने गांव वाले घर से घोटा पर जा रहा था, अभी वह उषा देवी पत्नी परविंदर के दरवाजे पर पहुंचा था कि वहां पहले से मौजूद मनीष, मुन्ना, वीरेंद्र, बिट्टू, सुरेंद्र, रामेश्वर और हरिकेश, जो अपने हाथ में लाठी, डंडा व लोहे की राड लिए हुए थे, उससे रवि के ऊपर मारने–पीटने लगे और मारपीट कर घायल कर दिए। मनीष अपने हाथ में लोहे का राड लिए हुए था, उसीसे रवि के सिर पर चोट पहुंचा दिए, शोर व हल्ला की आवाज सुनकर, जब उषा देवी बचाने आए तो अभियुक्तगण उन पर भी हमलावर हो गए। मनीष ने अपने हाथ

में लिए लाठी, राड से उषा देवी के सिर पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने रवि व उषा देवी को अपने हाथ में लिए लाठी, डंडा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। उन लोगों के चिल्लाने व शोर पर मैं राम भवन मेरी पत्नी दुर्गावती और भी गांव के तमाम लोग आ गए, हम लोग जब तक पहुंचे तब तक अभियुक्तगण रवि व उषा देवी को अपने हाथ में लिए लाठी, डंडा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। हम लोगों के पहुंचने पर अभियुक्तगम रवि व उषा को गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। जांच पड़ताल में पुलिस के दरोगा जी मुझसे मिले थे और घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिए थे।

<u>अभियुक्तगण रामईश्वर, मुन्ना, सुरेन्द्र की तरफ से जिरह अधिवक्ता श्री लालबचन चौधरी द्वारा</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं कक्षा 10 फेल हूं, मैं 49 वर्ष का हूं हम लोग तीन भाई व तीन बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, दूसरे नंबर का भाई नरसिंह व तीसरे राम भजन हैं। हम तीनों भाई अलग–अलग रहते हैं, तीनों भाइयों का अलग–अलग मकान है, मैं गवाही देने आज अकेले आया हूं, हम तीनों भाइयों का मकान, जो बना है उसका निकास उत्तर तरफ है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ रास्ता गली नुमा नरसिंह के घर तक आ रहा है, नर्सिंग के घर के पश्चिम मेरा घर है नरसिंह की पत्नी का नाम ममता है रिश्ते में मेरी भयहु है, मेरे व मेरे भाई नरसिंह के बीच में रास्ते का विवाद चलता था, उसे रास्ते के लिए कई बार हम भाइयों में विवाद चलता था, जो रास्ते का विवाद था उसके संबंध में ममता देवी मेरे खिलाफ वह मेरे भाई राम भजन व पत्नी दुर्गावती देवी के खिलाफ कसया सिविल कोर्ट में फौजदारी का मुकदमा की है, जिसमें मैं मुलजिम हूं और जमानत पर हूं। उसी मुकदमे को लेकर मुन्ना के घर से व हमारे घर से मुकदमा रंजिशन चलता है। मेरे भाई राम भजन से कभी बन जाता है कभी बिगड़ जाता है। मुन्ना मेरे भाई का लड़का है, मुन्ना के पिता का नाम नरसिंह है, नरसिंह मेरे दूसरे नंबर के भाई हैं, मुन्ना अपने घर से बाहर रहकर कमाते हैं, मुन्ना वर्ष 2021 में घर पर थे, जब मारपीट हुआ, उस समय मेरे भाई राम भवन से नहीं बनता था, मैं राजगीर मिस्त्री हूं, मैं काम करने सुबह 8:00 बजे घर से जाता हूं वह शाम को 5:00 बजे वापस आ जाता हूं। मेरे घर से उषा देवी का घर एक बीघा की दूरी पर है, उषा देवी वह मेरे घर के बीच में दो लोगों का मकान है, झुनखुन व राम भजन का मकान है, उनके बाद मेरा मकान है, मार–पीट के समय कौन–कौन था, मैं नहीं बता सकता, मार–पीट के समय मैं नहीं था मार–पीट हो जाने के बाद मैं पहुंचा था। मार–पीट के कितने समय बाद मैं पहुंच, समय नहीं देखा था, मार–पीट का झगड़ा मैं देखा था, मारपीट उषा के

दरवाजे पर हुआ था, घटना के समय नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ उषा देवी के दरवाजे पर पूर्व तरफ था, किस कोने पर था नहीं बता सकता। मुकदमा जब वीरेंद्र चौहान थाने पर लिखवाने गए थे तो मैं नहीं जानता हूं, कब गए थे, वीरेंद्र चौहान जब थाने से मुकदमा लिखवाकर आए तो हमसे नहीं बताएं थे की गवाही देना है, मार–पीट के समय में कोई व्यक्ति हमसे पूछे नहीं थे, जब मारपीट हुआ था तो मेरी पत्नी इस समय घर पर थी, मुझे नहीं जानकारी है कि राम भवन मेरे विरुद्ध क्रॉस केस का मुकदमा लिखवाये हैं। मुझे याद नहीं है कि मेरे खिलाफ मुकदमा क्रॉस दर्ज हुआ है, जिसमें दरोगा जी मेरा बयान लिए हैं।

यह कहना गलत है कि मुन्ना के घर से व मेरे घर से रंजिश है। इसलिए वह गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि मुकदमा अपराध संख्या–255/2022, धारा–147, 323, 504, 506, 336, 427, 325, 308, 354, 452, 379 भारतीय दण्ड संहिता में मैं भू अभियुक्त हूँ, इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।

<u>अभियुक्तगण बिट्टू व मनीष की तरफ से एडवोकेट श्री प्रिन्स पंकज राव द्वारा जिरह</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि उषा देवी के घर के उत्तर सटे रामभवन का घर है, बीच में कोई जगह नहीं है। सटे–सटे घर हैं, उषा देवी के घर आने का रास्ता सड़क पकड़ कर नहीं जाएंगे, परविंदर के घर से सटे रामभवन का घर है, उसके सटे मेरा घर है, मेरे घर व परविंदर के घर के बीच में लगभग एक बीघा का दूरी है, राम भवन व उषा देवी के घर की दूरी लगभग एक बीघा है। मैं घटना के समय रामभवन अखिलेश मुख्खु, परविन्द व रामक्यास को नहीं देखा था। मैं घटना स्थल पर घटना होने के बाद पहुंचा था। घटना स्थल पर मैं कुछ लेकर नहीं गया था, लाठी लेकर नहीं गया था, जब मैं पहुंचा तो ईट पत्थर चल चुका था, उषा देवी के दरवाजे पर मैंने ईट पत्थर नहीं देखा था, क्योंकि अंधेरा था। मैं पहुंचा तो दोनों लोग बेहोश थे, मैं घटना स्थल पर गया तो देखा कि दोनों लोग गिरे थे। जब दरोगा जी मौके पर आए बयान ले रहे थे, जिसमें बिट्टू, मनीष, सुरेंद्र, धीरेंद्र, मुन्ना, हरिकेश व रामईश्वर का बयान ले रहे थे। इसी आधार पर मैं मुल्जिमान का नाम बताया है।

यह कहना सही है कि मैंने सुनी, सुनाई बातों के आधार पर बयान दिया है। मैंने घटना नहीं देखा है।

मैं घटना स्थल पर घटना के दिन ही 07:30 बजे दरोगा जी आ गये थे। घटना के दिन ही अभियुक्तगण मनीष, सुरेन्द्र, रामईश्वर, हरिकेश, मुन्ना, विरेन्द्र का बयान घटना स्थल पर दर्ज किये थे और वही पर मेरा बयान लिये थे। जब दरोगा जी बयान ले रहे थे तो मैंने

पूजा, इन्द्रावती, रामभवन, बिट्टू, मनीष को चोटें आयी थी कि नहीं वह नहीं देखा। रामभवन के हाथ की अंगूली टूटी थी, यह भी मैंने नहीं देखा था। घटना के पहले रामभवन व रवि के घर से कोई विवाद चला या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। रवि व मनीष के साथ घटना के पहले अच्छे सम्बन्ध थे कि नहीं यह भी मैं नहीं बता सकता। घटना के एक दिन पूर्व रवि के साथ जो विवाद हुआ था, उसमें मैं नहीं था। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि रवि द्वारा मनीष की बहन के साथ छेड़खानी किया गया था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि चोटहिल को चोटें कैसे आई थी। क्योकि मैं दिन में काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ। आने के बाद लेट हो जाता है। इस लिए पता नहीं करने की कोशिश किया।

मैंने न्यायालय जो साक्ष्य/मुख्य परीक्षा दिया है वह लोगों के बताने पर दिया है। मैं किसी घायल के साथ दवा इलाज कराने नहीं गया था। उन लोगों के जाने का बाद दरोगा जी आये थे, दरोगा जी ने पूछ–ताछ करने के बाद वह अपने घर चला गया। मैं थाना पर नहीं गया था। पूछ–ताछ के लिए दरोगा जी थाने पर बुलाए थे, घटना वाले दिन के बाद दरोगा जी मुझसे कोई पूछ–ताछ नहीं किये थे। क्योंकि दरोगा जी से उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं रवि और उषा से भेट करने अस्पताल गया था कि नहीं याद नहीं है।

यह कहना गलत है कि हम लोगों द्वारा रवि, विरेन्द्र, उषा, रामक्यास, रामभवन, अखिलेश, मख्खु व परविन्द के साथ मिलकर रामभजन, बिट्टू, इन्द्रावती व पूजा को मार–पीट कर घायल कर दिये थे, इससे बचने के लिए न्यायालय में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

24. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–5 के रूप में रामभजन पुत्र बद्री चौहान, उम्र–38 वर्ष, साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर ने दिनांक–26.11.2024 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि घटना आज से करीब साढ़े तीन साल हो गया, शाम के लगभग 07:00 बजे का समय था। मेरे गाँव के विरेन्द्र चौहान का लड़का रवि गाँव से बाहर वाले घर पर जा रहा था, अभी वह परविन्द्र चौहान के घर के पास पहुँचा था कि वहां पहले से ही सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, मनीष, मुन्ना, रामईश्वर, हरिकेश अपने पास में लिए लाठी, डण्डे व राड से रवि को मारने–पीटने लगे। रवि को बचाने परविन्दर की पत्नी उषा देवी आई तो उक्त लोगों ने उसे भी मारने–पीटने लगे। शोर सराबे की आवाज पर मैं भी मौके पर पहुच गया था। रवि और उषा को मुल्जिमान द्वारा मारते–पीटते देखा था। गाँव के और लोगों के साथ मैं भी बीच–बचाव के लिए आया था। मुल्जिमानगण सबको धमकी देने लगे कि जो बीच–बचाव करने आयेगा, सबको मार देंगे।

अभियुक्तगण द्वारा अपने हाथ में लिए लाठी–डण्डे व राड से मारने–पीटने से उषा देवी के सर में गम्भीर चोट आ गयी थी व रवि को भी गम्भीर चोटें आई थी। दोनों लहू –लुहान हो गये थे। मौके पर मेरे व ओमप्रकाश तथा भाभी दुर्गावती तथा गांव के अन्य लोगों द्वारी बीच–बचाव किया गया। गाँव के और ज्यादा लोग आ जाने पर अभियुक्तगण मौके से भाग गये। घटना होते मैंने अपनी आँखो से देखा था। बीच–बचाव भी किया था। जाँच पड़ताल में पुलिस के दरोगा जी मुझसे मिले थे, पूछ–ताछ कर मेरा बयान लिए थे।

<u>जिरह वास्ते सुरेन्द्र चौहान, मुन्ना चौहान व रामेश्वर–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, मैं तीन भाई हूँ, बड़े भाई ओमप्रकाश, दूसरे नरसिंह है और तीसरे नम्बर पर मैं हूँ। मुन्ना मेरे भाई नरसिंह के लड़के है। मेरे रिश्ते में मुन्ना मेरा भतीजा है। हम तीनों भाई अलग–अलग रहते है। नरसिंह जो मेरे भाई है, उनसे और मुझसे रास्ते का विवाद चलता है। वह अब खत्म हो गये है। ममता देवी कसया कोर्ट में जो मुकदमा की है, वह मुकदमा नहीं चलता है। जो रास्ते का विवाद था, मेरे और मेरे भाई नरसिंह और उनके परिवार के लोगों से झगड़ा हुआ था। इसी वजह से मुझसे और मेरे भाई नरसिंह से बोल–चाल नहीं है। हम लोग आते, जाते भी नहीं है। मैं गवाही देने आया हूँ, विरेन्द्र चौहान भी आये होंगे। मेरे घर से प्रवीन चौहान का घर तीस कदम की दूरी पर है। जब झगड़ा हो रहा था, तब मैं वहाँ पहुच गया था। झगड़ा के समय सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, मनीष, बिट्टू, रामेश्वर, हरिकेश यही लोग थे और गाँव के बहुत से लोग थे। ओमप्रकाश और दुर्गावती भी थी। झगड़ा हो रहा था तब दोनों पक्षों में ईट, पत्थर, राड चल रहा था। मनीष हाथ में राड लिये हुए थे और मनीष के पक्ष के लोग ईट चला रहे थे। विरेन्द्र चौहान को जब झगड़ा हुआ, मैं नहीं देखा। प्रवीण की औरत की तरफ से ईट पत्थर चला।

मैं विरेन्द्र को जानता हूँ, विरेन्द्र मेरे पट्टीदार नहीं है, वीरेन्द्र का घर मेरे घर से पचास कदम की दूरी पर है। वीरेन्द्र से मेरे घर आने में दो–चार मिनट लग जाएगा। शोरगुल होने पर मैं तुरन्त पहुचा।

<u>जिरह वास्ते अभियुक्तगण मनीष और बिट्टू:–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो मुल्जिमान उषा को घेर कर मार रहे थे, जब मुल्जिमान उषा को मार रहे थे तो रवि भी करीब में ही खड़ा था। उषा को उषा के दरवाजे के दस कदम की दूरी पर अभियुक्तगण ने

मार–पीट रहे थे। उषा चोट खाकर अपने दरवाजे के बगल में बेहोश होकर गिर गयी थी। कुछ देर लगभग दो–तीन मिनट बाद उषा को होश भी आया। हम लोग बीच–बचाव कर रहे थे। हम उषा को उठाने नहीं गये। मेरे साथ मेरे भाई ओमप्रकाश भी थे। मुल्जिमान के बीच में हम दोनों लोग बीच–बचाव कर रहे थे। जब उषा को मुल्जिमान घेर कर मार रहे थे, तब मैं और मेरा भाई उषा को मुल्जिम से बचाये। जब मैं घटना स्थल पर पहुचा तब मुल्जिमान उषा और रवि को मार चुके थे। तब हम मौके पर पहुचकर मुल्जिमान से छुड़ाये थे। जब मैं मौके पर पहुचा तब मुल्जिमान रवि और उषा को मार चुके थे। मैंने इनको मारते हुए नहीं देखा था। दोनो पक्षों के बीच ईट, पत्थर खूब चला था। लाठी–डण्डा भी खूब चला था। ऊषा के दरवाजे पर लगभग 100–150 ईट बिखरा हुआ था। जब हम लोग, मैं और मेरा भाई ओमप्रकाश और अन्य लोग वहाँ पहुचे तब तक मुल्जिमान वहाँ से भाग चुके थे। मुल्जिमान हम लोगों को दखकर मौके से भाग गये। रामभवन उनकी पत्नी, रामभवन की पुत्री पुजा, रामभवन के दो बेटे मनीष व बिट्टू को कैसे चोटें आई, यह उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है किमैं नहीं जानता हूँ। दोनों पक्षों से ईट –पत्थर चला था। इसलिए रामभवन की छत व घर पर भी ईट पत्थर से हमला हुआ था। जब ईट, पत्थर दोनों पक्ष से चला था तो दोनों पक्षों को चोट लग सकती है। मेरे गाँव के लोगों ने गलत बयान दिया है कि घटना में मैं मौजूद था, लेकिन मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।

घटना के बाद चोटहिलों की दवा इलाज कराने मैं नहीं गया था। चोटहिल को दवा इलाज कराने लोग बाईक से लेकर गये थे। बाद में सुनने में आया कि चोटहिल को सुकरौली से दवा इलाज के लिए एम्बुलेंस से लेकर गये थे। घटना के बाद दरोगा जी से मेरी कोई भेट नहीं हुआ है। जब भेट ही नहीं हुआ है, तो कोई मुझसे पूछ–ताछ कैसे कर सकता है। रामभवन ने मेरे भाई के ऊपर कोई मारपीट का मुकदमा कउक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है किराये है, इसके बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मैं घटना स्थल पर पहुचा तो मैंने विरेन्द्र को नहीं देखा था। मारपीट के दौरान भी मैंने वीरेन्द्र को नहीं देखा था।

यह कहना गलत है कि गाँव के गुटबंदी के कारण एक गुट का सदस्य होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं मुकदमा अपराध संख्या–255/2022, थाना–हाटा से बजने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

25. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू० –6 के रूप में का० रितेशमणि त्रिपाठी, वर्तमान तैनाती–एन्टी करप्शन, गोरखपुर, पी०एन०ओ० नं० 152611069 ने दिनांक–10.02.2025 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि

दिनांक–13.06.2021 को मैं बतौर कास्टेबल मुहर्रिर थाना हाटा में तैनात था, उस दिन थाना हाजा पर प्रार्थी विरेन्द्र चौहान एक लिखित तहरीर लेकर उपस्थित आया था, उसके लिखित तहरीर के आधार पर प्रभारी निरीक्षक महोदय के आदेश से मैंने मामले की कायमी जी०डी० रपट नम्बर 35 दिनांक–13.06.2021 को समय 20:00 बजे जरिये कंम्प्यूटर मैंने खुद ही अंकित किया है। साथ ही साथ मामले की चिक एफ०आई०आर मुकदमा अपराध संख्या–244/2021, धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता विरूद्ध नामजद अभियुक्त मनीष, मुन्ना, धीरेन्द्र, बिट्टू, सुरेन्द्र, रामईश्वर की चिक मैंने जरिये कंम्प्यूटर किता किया है। मामला पंजीकृत होने का विवरण मैंने प्रार्थी द्वारा लाया गया मूल तहरीर के पुष्ठ भाग पर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में अंकित किया है। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–5क/3 जी०डी० रपट कायमी दिखाया गया, जिसे देख व पढ़कर साक्षी ने स्वयं जरिये कंम्प्यूटर अंकित किये जाने की पहचान किया। साक्षी के पहचान पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/1 ता 4क/2 चिक एफ०आई०आर० दिखाया गया, जिसे देख व पढ़कर साक्षी द्वारा जरिये कंप्यूटर अंकित किये जाने की पहचान किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। साक्षी को शामिल पत्रावली प्रदर्श क–1 के पृष्ठ भाग पर अंकित मुकदमा पंजीकृत होने का विवरण देखकर स्वयं की हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान किया। विवेचक महोदय ने पूछ–ताछ कर मेरा बयान लिया था।

अभियुक्तगण मुन्ना, रामईश्वर व सुरेन्द्र के अधिवक्ता द्वारा जिरह:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं हाटा थाना में पंचवा महीना 2021 से माह जनवरी 2024 तक रहा हूँ। छठवा महीना में मैं शायद 6–7 तारीख से रहा। जिस पत्रावली में मैं गवाही देने आया हूँ, उसमें दो एस०टी० केस है। मैं इस मुकदमे के वादी मुकदमा को पहले से नहीं जानता हूँ। थाने पर जब मैं मौजद था, तो वादी मुकदमा, मुकदमा लिखवाने गया था, वादि मुकदमा का नाम विरेन्द्र उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है किनिषाद है, विरेन्द्र निषाद थाने पर लिखित तहरीर देकर लिखवाये थे। तहरीर वादी मुझको दिये थे। दिनांक–13.06.2021 को तहरीर मुझे 07:00 – 08:00 बजे शाम को दिये थे। तहरीर मुझे मिला तो मैं मुकदमा कायम कर लिया। मैंने वादी मुकदमा का कोई पहचान पत्र नहीं लिया था। इस मुकदमें में दरोगा जी मेरा बयान लिए थे। इस मुकदमें में कितने विवेचक थे, मुझे जानकारी नहीं है। मेरा बयान विवेचक एक बार लिए थे।

यह कहना गलत है कि बिना वादी मुकदमा के थाने पर आये मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

जब मैं मुकदमा चिक एफ०आई०आर० किता कर रहा था तो उस समय एस०आई० सदानन्द यादव मौजूद थे, उस समय दिनांक–13.06.2021 को कोतवाली हाटा का हेड मुहर्रिर कौन थे, इस समय उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हेड मुहर्रिर थाने पर चिक किता करते समय थाने पर मौजूद थे कि नहीं याद नहीं आ रहा है। वादी मुकदमा मेरे पास ही प्रार्थना–पत्र लेकर आया था, किसी और अधिकारी के पास गया था कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास वादी मुकदमा तहरीर लेकर आया था, मैंने मुकदमा दर्ज किया था। मैंने पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई पहचान नहीं देखा। तहरीर पर वादी मुकदमा अपना हस्ताक्षर बना कर लाया था।

यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा के साजिश में आकर यह मुकदमा पंजीकृत क लिया। यह भी कहना गलत है कि दिनांक–13.06.2021 को कोई तहरीर वादी मुकदमा से प्राप्त नहीं हुई थी। शाजिसन चिक व जी०डी० किता किया हूँ।

26. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू० –7 के रूप में उपनिरीक्षक सदानन्द यादव, थाना–तरकुलवा, जनपद–देवरिया ने दिनांक–14.05.2025 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि दिनांक–13.06.2021 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना–हाटा, जनपद–कुशीनगर में तैनात था, थाना हाटा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–244/2021, अन्तर्गत धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता विरूद्ध मनीष आदि की विवेचना मुझ वरिष्ठ उपनिरीक्षक को थाना कार्यालय द्वारा जरिये नकल चिक, नकल रपट उपलब्ध कराई गयी थी।

दिनांक–13.06.2021 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–1 किता किया गया, जिसमें एफ०आई०आर० अवलोकन नकल रपट का अवलोकन कर अंकितसी०डी० किया गया। तत्पश्चात उसी दिन लेखक एफ०आई०आर० रितेश मणी त्रिपाठी व वादी विजेन्द्र चौहान का बयान लेकर विवरण अंकित सी०डी० कर पर्चा किता किया। पुन: दिनांक–14.06.2021 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–2 किता किया है, जिसमें मुखबीर खास की सूचना पर मामले में वांछित अभियुक्त मनीष व बिट्टू को उनके घर से करीब 10:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया। तत्पश्चात अभियुक्तगण मनीष व बिट्टू से हवालात गेट पर उनका बयान लेकर अंकित सी०डी० किया है। तत्पश्चात अभियुक्तगण मनीष और बिट्टू को माननीय न्यायालय से 14

दिन का रिमाण्ड लेकर पर्चा किता किया है। पुन: दिनांक–16.06.2021 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–3 किता किया है, जिसमें वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर अंकित सी०डी० किया है। तत्पश्चात उसी दिन वादी मुकदमा ने मजरूब रवि मजरूवा उषा देवी का डाक्टरी प्रपत्र मूल उपलब्ध कराया गया, जिसका अवलोकन कर अंकित सी०डी० किया गया है। तत्पश्चात उसी दिन गोरखपुर स्थित रचित हास्पिटल के जनरल वार्ड के बेड नम्बर 9 पर रवि व बेड नम्बर 18 पर भर्ती उषा देवी का बयान लेकर अंकित सी०डी० किया गया है। पुन: दिनांक–16.06.2021 को ही मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–4 किता किया है, जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगणों की तलास किये जाने व दस्तयाब न होने का विवरण अंकित करके पर्चा किया गया है।

पुन: दिनांक–30.06.2021 कोसी०डी० पर्चा संख्या–5 किता किया गया है, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तगण मनीष और बिट्टू को 14 दिन का रिमाण्ड कियटे जाने का अंकित किया गया है।

मेरे निरीक्षक पद हेतु प्रशिक्षण लेने हेतु सीतापुर चले जाने के कारण दिनांक–02.07.2021 को उक्त मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–6 साथ में थाने पर तैनात एस०आई० रामभजन यादव द्वारा किता किया गया, जिसमें मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान की गिरफ्तारी किये जाने तथा अभियुक्त के दाखिल नकल रपट का अवलोकन विवरण अंकित सी०डी० किया है। तत्पश्चात अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान का बयान लेकर तथा माननीय न्यायालय से 14 दिन का रिमाण्ड प्रतिवेदन का विवरण अंकित करते हुए एस०आई० रामजनम यादव द्वारा सी०डी० पर्चा संख्या–6 किता किया है।

पुन: दिनांक–15.07.2021 को सी०डी०पर्चा संख्या–7 एस०आई० रामजनम यादव द्वारा किता किया गया है, जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान का 14 दिन का रिमाण्ड प्रतिवेदन का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया। पुन: दिनांक–07.08.2021 को सी०डी० पर्चा संख्या–8 किता किया गया है, जिसमें मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामेश्वर को सुकरौली चौराहे से समय 10:20 बजे गिरफ्तार किये जाने तथा अभियुक्त रामेश्वर का बयान लेकर तथा अभियुक्त के 14 दिन रिमाण्ड प्रतिवेदन दिये जाने का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया गया है।

पुन: दिनांक–10.08.2021 को मामले में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या –9 किता किया गया है, जिसमें साक्षी ओम प्रकाश, रामभजन, दुर्गावती देवी का बयान लेकर अंकित करते हुए पर्चा किता किया है। पुन: दिनांक–11.08.2021 को सी०डी० पर्चा संख्या–10 किता किया गया है, जिसमें थाना कार्यालय से उपलब्ध कराये गये धीरेन्द्र कुमार चौहान को नोटिस शपथ–पत्र, शपथकर्ता लखन चन्द्र, शेषनाथ चौहान, रेनू, शिववचन, द्वारिका, उपेन्द्र कुमार, रामचन्द्र, अनिल चौहान, जितेन्द्र, मनोज का अवलोकन कर विवरण अंकित सी०डी० में करते हुए पर्चा किता किया है। पुन: दिनांक–18.05.2021 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या –11 किता किया है, जिसमें नामजद अभियुक्त धीरेन्द्र चौहान की नामजदगी गलत पाये जाने का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया गया है। पुन: दिनांक–17.08.2021 को सी०डी० पर्चा संख्या–12 किता किया है, जिसमें मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त मुन्ना व हरिकेश के बाबत एन०बी०डब्लू० माननीय न्यायालय से एन०बी०डब्लू० प्राप्त किये जाने का विवरण दर्ज किया है। पुन: दिनांक–28.08.2021 को पर्चा संख्या–13 किता किया है, जिसमें मजरूब की डाक्टरी करने वाले डाक्टर गौतम शर्मा का बयान लेकर अंकित सी०डी० किया गया है। पुन: दिनांक–31.08.2021 को सी०डी० पर्चा संख्या –14 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण मुन्ना व हरिकेश के गिरफ्तारी व दबिश दिये जाने और दस्तयाव ना होने का विवरण अंकित किया गया है। पुन: दिनांक–02.09.2021 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–15 किता किया गया, जिसमें अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, डाक्टरी प्रपत्र और अन्य सम्बन्धित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगम मनीष, बिट्टू, सुरेन्द्रव रामईश्वर उपरोक्त के विरूद्ध जुर्म धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बखूबी साबित पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त चालान माननीय न्यायालय को जरिये आरोप पत्र संख्या–A387/2021 प्रेषित किये जाने व अभियुक्तगण मुन्ना व हरिकेश के विरूद्ध विवेचना प्रचलित होने का पर्चा किता किया है। पुन: दिनांक–05.09.2021 को सी०डी० पर्चा संख्या–16 किता किया है, जिसमें शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व दस्तयाब न होने का विवरण अंकित किया गया है।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–8 क नक्शा नजरी दिखाया गया, जिसे देख व पढ़कर साक्षी ने स्वयं के हस्तलेख व ह्स्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–**4** डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/5 आरोप–

पत्र दिखाया गया, जिसे देखकर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुए स्वयं के हस्ताक्षर में आरोप–पत्र होने की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है।

<u>जिरह द्वारा अधिवक्ता, अभियुक्त मनीष</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर लिखी गयी तब मैं थाने पर मौजूद था या नहीं मुझे याद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले मैं घटना स्थल ग्राम पिड़रा गोपाल टोला में नहीं गया था और न ही मेरी किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई थी।

प्रश्न– साक्षी ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय में सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक–12.06.2021 को ही दरोगा जी मौके पर आये थे और मेरा बयान लिये थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है।

प्रश्न– घटना के साक्षी रामभजन ने न्यायालयम में सशपथ बयान किया है कि घटना के बाद दरोगा जी से मेरी कोई बात नहीं हुई और न ही मेरी कोई मुलाकात हुई। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– साक्षी ने गलत बयान किया है कि उनके द्वारा बताने पर ही मेरे द्वारा केस डायरी में उनका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र बुधई की गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाठक व हमराह के द्वारा किया गया है, जरिये टेलीफोनिक बात के क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूछा गया कि उक्त मुकदमें में सुरेन्द्र वांछित है कि नहीं, मेरे द्वारा वांछित बताया गया। इसी क्रम में जयप्रकाश पाठक द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी दिनांक –02.07.2021 को हुई थी। मैं ट्रेनिंग में 2 जुलाई, सन् 2021 के पहले ही चला गया था। जब मैं निरीक्षक के प्रशिक्षण में गया था तो थाना प्रभारी ने विवेचना किसी अन्य को दिया था, इसका कोई प्रपत्र मेरे पास नहीं है। प्रशिक्षण से वापस आने पर भी विवेचना से सम्बन्धित कोई आदेश मेरे पास नहीं मिला था। मौखिक आदेश से विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी। यह मौखिक आदेश तत्कालीन प्रभारी निरीक्षम जय प्रकाश पाठक द्वारा दिया गया था। अभियुक्त सुरेन्द्र की गिरफ्तारी भी प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाठक द्वारा किया गया ता। किन्तु प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाठक विवेचना के अंग नहीं है, खानगी की कोई जी०डी० दर्ज नहीं की

जाती है। वापसी व मुल्जिम दाखिल की जी०डी० संलग्नक की जाती है। कागज संख्या–13क/23 गिरफ्तारी अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान जी०डी० संख्या –31, दिनांक–07.08.2021 किसके द्वारा हस्ताक्षरित है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सुरेन्द्र के गिरफ्तारी करने वाले निरीक्षक जय प्रकाश पाठक और हमराहगण का बयान मैंने विवेचना के क्रम में नहीं लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरन्त विवेचना मुझे हल्तमत हुई थी। कायमी मुकदमा दिनांक–13.06.2021 को 08:20 मिनट पर है। विवेचना मुझे इसके बाद ही मिली होगी। वादी का बयान मैंने उसी दिन लिया ता। वादी इस दिन कितने बजे तक थाने पर था, यह मुझे याद नहीं है। पर्चा संख्या–1 काटने में टाईपराईटर को आधे घण्टे से कम का समय तैयार करने में लगा होगा। अभियुक्तगण मनीष और बिट्टू की गिरफ्तारी मेरे द्वारा की गयी थी, उनकी गिरफ्तारी घर से हुई थी। मनीष व बिट्टू की गिरफ्तारी दिनांक 14.06.2021 को समय सुबह 10:30 बजे की है। जब मैंने मुल्जिमान मनीष और बिट्टू की गिरफ्तारी की तो उनके शरीर पर कुछ जाहिरा चोटे मौजूद थी, पुछने पर मुल्जिमानों ने बताया था कि इनकों चोटें झगड़े में आयी थी। वादी मुकदमा व उनके परिवार वालों को इन लोगों ने मारा था, उसी झगड़े में इन दोनों को भी चोटें आई थी। एफ०आई०आर० के साथ और मुल्जिमानों की गिरफ्तारी के समय तक मुझे चुटहिलों का मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला था। केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मैंने मुल्जिमानों की गिरफ्तारी नहीं की थी, अपितु वादी मुकदमा का बयान भी अंकित किया था। वादी मुकदमा को घटना में मार–पीट के सम्बन्ध में चोट न आने के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं हुई थी। नक्शा–नजरी में जो ओवर राईटिंग है, वह मेरे द्वारा की गयी है, पूर्व में 15 अंकित था बाद में 16 किया गया है। मैंने पूरे विवेचना में झगड़े का कारण (हेतु) की जानकारी नहीं ह्रुी। मार–पीट बिना कारण के हुआ था, पर्चा संख्या–3 निरक्षण घटना स्थल, बयान मजरूव रवि व ऊषा दिनांक–16.06.2021 को तैयार किया गया है और उसकी प्रिंटिग दिनांक–18.06.2021 को कराई गयी है। मैंने पर्चा संख्या–3 पर दो दिन पहले का हस्ताक्षर बना कर दाखिल किया था। सी०डी० नंम्बर 10 जिसमें धीरेन्द्र कुमार चौहान की नोटरी शपथ पत्र व लखन चन्द्र, शेषनाथ, रेनू, शिवचरन, द्वारिका, उपेन्द्र, रामचन्द्र, अमिल व जितेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं उनके बयानात द्वार साक्ष्य के आधार पर धीरेन्द्र कुमरा चौहान की नामजदगी गलत पाते हुए विवेचना से पर्चा संख्या–11 में नाम निकाला गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा विरेन्द्र मजरूब रवि व मजरूबा उषा ने विवेचना के दौरान अभियुक्त के बारे में गलत बयान दिया था।

प्रश्न– मजरुब उषा ने शपथपत्र बयान दिया है कि विवेचक ने उसका बयान गाँव के घर पर लिये थे। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर– मेरे द्वारा उषा और रवि का बयान रचित हास्पिटल, गोरखपुर में लिया गया था। मैंने उषा देवी के घर पर उनका बयान नहीं अंकित किया था।

मजरूब रवि का मोडिकोलीगल करते समय डाक्टर गौतम शर्मा से मैंने नहीं पूछा था कि रवि होश में थे कि बेहोश में, रवि को डाक्टर के समक्ष कौन प्रस्तुत किया था। घटना स्थल पर झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के बीच ईट–पत्थर भी चले थे, लेकिन मुझे वादी मुकदमा द्वारा चार दिन बाद निरीक्षण घटना स्थल कराया गया था।

मुकदमा अपराध संख्या–255/2022, अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506, 336, 427, 325, 308, 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता में स्थानीय थाना कोतवाली हाटा में वादी मुकदमा रामभवन (अभियुक्त मनीष के पिता) द्वारा कोई मुकदमा पंजीकृत कराया गया था या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे स्थानान्तरण हो गया था।

यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रलोभन में आकर अभियुक्त मनीष व अन्य के विरूद्ध गलत मुकदमा पंजीकृत कराया एवं वादी मुकदमा को लाभ पहुचाने के लिए जान–बूझकर सच्चाई सामने न ला कर गलत विवेचना की है। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त मनीष की बहन के साथ छेड़खानी हुई थी, सच्चाई जानते हुए भी मैंने विवेचना का अंग नहीं बनाया और गलत विवेचना की थी। यह भी कहना गलत है कि न्यायालय में आकर गलत बयान दे रहा हूँ।

जिरह द्वारा अधिवक्ता, अभियुक्त रामईश्वर, मुन्ना और सुरेन्द्रः–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मुझे विवेचना थाना कार्यालय से दिनांक–13.06.2021 को मिली थी। चुटहिलों का बयान दिनांक–16.06.2021 को लिया था। वादी मुकदमा से मै मिला थाने पर एफ०आई०आर० लिखने के लिए तहरीर देकर थाने पर मौजूद थे, थाना कार्यालय द्वारा बताया गया कि यही वादी मुकदमा है। पहचान के लिए वह आई०डी० नहीं लिए हुए थे। विवेचना दिनांक–13.06.2021 को मिला था। समय याद नहीं है। जिस दिन वादी मुकदमा थाने पर पहुचा था। उस समय मैं थाना कार्यालय पर मौजूद था। अभियुक्त मुन्ना को मैं नहीं देखा हूँ। अभियुक्त मुन्ना एफ०आई०आर० में नामित था। मुन्ना के घर मैं कई बार दबिश दिया था, मुन्ना के घर पर

विओज मुझे कोई नहीं मिला था। जिस समय घटना के बाबत एफ०आई०आर० दर्ज हुआ, ग्राम सभा पिडरा के प्रधान भोला चौहान थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं है, जिस दिन थाना पर एफ०आई०आर० दर्ज हुआ उस दिन अभियुक्त मुन्ना की माँ ममता देवी ने ग्राम प्रधान भोला चौहान को थप्पड़ मार दी, इसी द्वेष में पुलिस ने एफ०आई०आर० दर्ज की ये बात नहीं है। डाक्टर गौतम शर्मा का मैं बयान लिया था और किसी डाक्टर का बयान मैंने नहीं लिया था। मैं किसी स्वतंत्र साक्षी का बायन नहीं लिया था। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला, प्रयास किया साक्षी के लिए लेकिन कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला।

यह कहना गलत है कि दो प्रधानों के बीच चुनावी रंजिश थी, इसलिए वर्तमान प्रधान के प्रभाव में आकर उक्त मुकदमा लिखा था। यह भी कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

27. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू०–8 के रूप में डाक्टर गौतम शर्मा, चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर ने दिनांक–06.10.2026 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि दिनांक–12.06.2021 को मैं जिला अस्पताल रविन्द्रनगर धूस में बतौर मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था कि सी०एम०एस० महोदय के आदेश से मेरी ड्यूटी उस दिन इमरजेन्सी में लगी थी।

दिनांक–12.06.2021 को समय 10:35 PM पर उषा देवी, उम्र–28 वर्ष पत्नी प्रविन्द्र, निवासी–पिड़रा गोपाल, थाना–हाटा, जनपद–कुशीनगर को उनके पति द्वारा लाया गया था, जिसकी पहचान के लिए मैंने उसके दाहिने अंगूठे का पहचान लिया था। मजरूब को निम्नवत चोटें पायी गयी:–

चोट संख्या–1. Lacerated wound (फटा हुआ घाव), जिसका साइज 5 X .5CM X bone deep जो कि सर के ऊपर था, जो नाक के जड़ से 14CM ऊपर था, जिसको Observation में रखकर एक्स–रे व सी०टी० स्केन हेतु सन्दर्भित किया गया ता। खून बह रहा था।

चोट संख्या–2. Contusion 4.50 CM X 4.00CM बाई आँख के चारो तरफ ।

चोट संख्या–3. Contusion 6.00 CM X 4.00 CM दाहिने हाथ के बाहरी हिस्से में दाहिने कंधे से 4.5CM नीचे।

चोट संख्या–4. छिला हुआ घाव 2.00CM X 1.00CM बाये पैर के अगले हिस्से में बायें घुठने से 10.00CM नीचे।

चोट संख्या–5. छिला हुआ (Abrasion) 1.00CMX 1.00CM दाहिने पैर के आगे वाले हिस्से में घुठने के 4.50CM नीचे था।

चोट संख्या–6. Contusion 2.50 CM X 2.0CM पीठ पर जो 0.7 से 14.00CM नीचे था।

<u>Opinion</u>:– सारे चोट ठोस व कुन्द वस्तु से कारित था तथा चोटें ताजी थी।

उसी दिन समय 10:45PM पर रवि, उम्र–30 वर्ष पुत्र विरेन्द्र, साकिन–पिड़रा गोपाल, थाना–हाटा, जनपद–कुशीनगर स्वयं चलकर आया था, जिसके पहचान के लिए बाये अंगूठे का निशान लिया गया था। चोटहिल को निम्न चोटे थी:–

चोट संख्या–1. कटा भरा विमेज जैसा था, साइज 3.00 X 2.50CM X bone deep बाये ललाट पर बाये आँख के भौ से 4.00 CM ऊपर था, जिसको Observation में रखकर X–ray व C.T. head के लिए संदर्भित किया गया था।

चोट संख्या–2. किल व घुस घाव जो 14.00 X 4.00 CM बये कंधे पर था।

चोट संख्या–3. सीने में दर्द बता रहा था।

चोट संख्या–4. घुस (Contusion) 10.00 CM X 6.00 CM size जो दाहिने कलाई के पृष्ठ भाग पर था, जिसे मैंने Observation में रखकर दाहिने सलाई को X–ray के लिए संदर्भित किया था।

Opinion– सारे चोट ठोस व कुंद वस्तु से कारित की गयी थी, चोट ताजी थी।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6क/9 चुटहैल उषा देवी का मेडिकल परीक्षण दिखाया गया तो साक्षी ने देख व पढ़कर स्वयं के हस्तलेख में होने व अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–6/ PW–8** डाला गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6क/2 मजरूब रवि का डाक्टरी परीक्षण दिखाया गया तो साक्षी ने देख व पढ़कर हस्तलिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुए अपने लेख व ह्सताक्षर की पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–7/PW–8** डाला गया।

<u>Cross by Defence अभियुक्त सुरेन्द्र, रामईश्वर व मुन्ना</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं जिला चिकित्सालय, कुशीनगर में सन् 2014 से 2022 तक चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहा, जो चुटहैल उषा देवी

मेरे पास कब आई थी दिनांक याद नहीं है, समय 10:45 याद है। चोटहिल उषा देवी जब मेरे पास आई तब उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने उनका नाम बताया। जब उषा देवी मेरे पास आई तब मुझसे बात–चीत की, यह याद नहीं है कि वे चल पा रही थी कि नहीं, उषा देवी को कितना चोट लगा था, वह मेडिकल रिपोर्ट पर लिखा होगा। उषा देवी के सभी चोटें सामान्य थी, एक चोट जो चोट Under Observation में थी, उनको छोड़कर शेष सभी चोटें सामान्य थी।

यह चोटे कुंद व ठोस वस्तु से आयी प्रतीत हो रही थी। मैं इनका डाक्टरी मुलाहिजा 10–15 मिनट तक किया हूँ। उषा देवी जो जो चोट दिखाई वही हमने लिखा, उषा देवी के शरीर पर जो चोट थी उसमें से सर की चोट थी, वह छोड़कर बाकी चोटें प्राणघातक नहीं थी। सर की चोटे प्राण धातक है या नहीं, मैं नहीं बता सकता।

चोटहिल रवि का डाक्टरी मुलाहिजा मैंने किया था, पहले उषा का किया था फिर रवि का किया था, रवि हमसे बातचीत कर रहा था कि नहीं यह याद नहीं है। रवि के शरीर पर कितनी चोटें थी वह मैं डाक्टरी मुलाहिजा में लिखा है।

यह कहना गलत है कि दोनों चोटहिल के शरीर पर आये चोट को मैं अपनी मर्जी से लिख दिया, चोट नहीं लगा था।

<u>Cross by Defence अभियुक्त मनीष व बिट्टू–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि चोटहिल रवि मेरे समक्ष स्वयं प्रस्तुत हुआ था, उसने अपने चोटों के बारे में स्वय बताया था, रवि पूरी तरफ होस हवास में थे, उन्होंने अपने चोटों के बारे में बताया, किसी भी प्रकार से असामान्य नहीं थे, पुरी तरह सामान्य थे। रवि को चोट संख्या–1 व 4 की चोट जो हाथ की हथेली के कलाई पर थी, उसको मैंने Kept under Observation मे रखा, बाकी सभी चोटें सामान्य थी। चोट संख्या–1 व 4 से सम्बन्धित कोई पूरक रिपोर्ट न मिलने के कारण मैं नहीं बता सकता कि चोट सामान्य प्रकृति थी या असामान्य प्रकृति की थी। जब रवि मेरे समक्ष मेडिकल हेतु प्रस्तुत हुआ तब मैंने उससे कोई पहचान–पत्र नहीं लिया, न देखा था, केवल उसके बताने पर उसका नाम रवि लिखा व उसके बाये अंगुली का निशान लिया। चोट संख्या–1 मजरूब रवि को सर पर आई चोट लोहे की राड से आना सम्भव नहीं है। ईट से आना या कुंद वस्तु से तिकोना हो, उससे आना सम्भव है। मजरूब रवि का प्राथमिक उपचार हुआ था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। रवि को जो सर की चोट संख्या–1 आई थी वह ईट पर गिरने से आ

सकती है।

मजरूबा उषा देवी का मेडिको लीगल करते समय उषा का कोई पहचान पत्र नहीं लिया था, न देखा था, उसके पति के बताने के आधार पर चोटहिल का नाम उषा लिखा, उसके दाहिने हाथ का अंगुठा का निशानी के तौर पर लिया था। चोटहिल उषा के बताने के आधार पर मैने उसके शरीर पर आये चोटों का अंकन किया। मेडिको लीगल तैयार करते समय चोटहिल उषा देवी पुर्ण रूप से सामान्य थी, उषा देवी का कोई प्राथमिकी उपचार हुआ था कि नहीं मुझे याद नहीं है।

चोटहिल उषा देवी की चोट संख्या–1 को छोड़कर सभी चोटें सामान्य थी। चोट संख्या–1 को मैंने Kept under Observation रखा था। लेकिन पूरक पर्चा न होने के कारण इस चोट की प्रकृति के बारे में नहीं बता सकता हूँ, चोट सामान्य थी या असामान्य प्रकृति की थी, जो चोट चोटहिल उषा देवी को आई है वह चोटें सड़क पर या दीवाल पर गिरने से आ सकती है।

यह कहना गलत है कि मैने चोटहिल का कोई चोट अपनी आँखो से नहीं देखा था, सिर्फ उनके बताने के आधार पर तैयार किया था। यह भी कहना गलत है कि चोटहिल के प्रभाव में आकर जानबूझकर, चढ़ा–बढ़ाकर मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार किया है। यह भी कहना गलत है कि अपनी किमियों को छिपाने के लिए गलत बयानी की है।

28. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू० –9 के रूप में उप निरीक्षक बृजेश कुमार यादव, क्रामइ ब्रांच अपराध शाखा, कुशीनगर ने दिनांक–16.01.2026 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि दिनांक–16.03.2022 को मैं बतौर उप निरीक्षक थाना हाटा में तैनात था। थाना हाजा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–244/2021, अन्तर्गत धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता की प्रारम्भिक विवेचना उप निरीक्षक सदानन्द यादव व उप निरीक्षक अखिलेश यादव द्वारा की गयी थी, उसके उपरान्त मामले की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी। उसी दिनांक–16.03.2022 को मामले की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–27 किता किया है, जिसमें मामले की विवेचना ग्रहण करने व अंकित अभियुक्त मुन्ना व हरिकेश की तलाश किये इस्तेयाब न होने के कारण विवरण अंकित किया है। पुन: दिनांक–02.05.2022, 15.06.2022, 18.07.2022, 10.08.2022, 20.08.2022 और 29.08.2022 को विवेचना में मामूर होकर क्रमश:सी०डी० पर्चा संख्या–28, 29, 30, 31, 32 व 33 किता किया है, जिस पर सभी पर्चों में अभियुक्त मुन्ना व हरिकेश की तलाश

किये, उनके सम्भावित स्थानों पर दबीश दिये, उनके इस्तेयाब न होने का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया है।

पुन: दिनांक–01.09.2022 को मालमे की विवेचना में मामूर होकर सी०डी० पर्चा संख्या–34 किया किया, जिसमें मामले में वांछित अभियुक्त मुन्ना सिंह द्वारा माननीय सी0 जे0 एम 0 न्यायालय में आख्या समर्पण किये थाने को सूचना दिये। हाजिरी सूचना का अवलोकन कर विवरण सलग्न सी०डी० करते हुए तथा अन्य अभियुक्त हरिकेश के बाबत पता रसी, शुरागरसी किये जाने के बाबत पर्चा किता किया है। पुन: दिनांक–19.10.2022 को मामले की विवेचना में मामूर होकर पर्चा संख्या –35 किता किया है, जिसमें माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार देवरिया पहुचकर अभियुक्त मुन्ना चौहान का बयान लेकर संलग्नसी०डी० करते हुए पर्चा किता किया। पुन: दिनांक–12.11.2022 को मामले की विवेचना में मामूर होकर पर्चा संख्या –36 किा किया है, जिसमें अब की तमामी विवेचना, जिसकी प्रारम्भिक विवेचना सदानन्द यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी, उनके स्थानान्तरण के पश्चात उप निरीक्षक अखिलेश यादव द्वारा सम्पादित की गयी। तत्पश्चात हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक मामले की विवेचना मुझ उप निरीक्षक को सुपुर्द हुई थी।

मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण मनीष, बिट्टू, सुरेन्द्र व रामेश्वर उपरोक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में पूर्व में प्रेषित किया जा चुका था। अभियुक्त मुन्ना व हरिकेश के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है।

अब तक की तमामी विवेचना व उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त मुन्ना के विरूद्ध धारा–147, 323, 506, 452, 352, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बखूबी साबित पाते हुए अभियुक्त मुन्ना का चालान जरिये आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित करते हुए तथा अभियुक्त हरिकेश के विरूद्ध विवेचना प्रचलित का अंकन करते हुए पर्चा किता किया गया है।

साक्षी को शामिल पत्रावली एस०टी० संख्या–19/2023, सरकार बनाम मुन्ना में कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/5 आरोप–पत्र दिखाया गया तो देख व पढ़कर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुए आरोप–पत्र स्वयं के हस्ताक्षर में होने की तस्दीक किये, जिस पर सम्मिलित रूप से प्रदर्श क–8/PW–9 डाला गया।

Cross by Defence अभियुक्त मुन्ना–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि थाना हाटा में मैं अक्टूबर 2021 में

बतौर उपनिरीक्षक तैनात रहा। मुकदमा अपराध संख्या–244/2021 की विवेचना मुझे दिनांक–16.03.2022 को मिली, वरिष्ठ उप निरीक्षक अखिलेश यादव से मिली थी। उस समय पूर्व विवेचक अखिलेश यादव थाने पर तैनात थे, उनका कही स्थानान्तरण नहीं था, उनके पास काम अधिक होने के कारण व मेरे शेष होने के कारण प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझे विवेचना आवंटित किया गया था। अखिलेश यादव SSI के पद पर तैनात थे, यह बात थाना प्रभारी महोदय बताये थे कि विवेचना अखिलेश यादव से मुझे क्यों दी गयी। मैं पर्चा संख्या–27 लगायत पर्चा संख्या–36 तक किता किया हूँ। यह विवेचना मैंने मुन्ना चौहान व हरिकेश चौहान के विरूद्ध किया था। मैंने वादी मुकदमा का बयान नहीं लिया था। घटना स्थल का भी मेरे द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। एफ०आई०आर० लेखक, डाक्टर, मजरूब का बयान मैंने नहीं लिया था, न ही कोई स्वतंत्र साक्षी का बयान लिया था। मुन्ना को मैंने गिरफ्तार नहीं किया था। अभियुक्त मुन्ना का बयान माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार देवरिया में बयान लिया था।

यह कहना सही है कि पूर्व विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण, डाक्टर व अन्य साक्षियों का बयान लिया गया था, इसलिए मेरे द्वारा इन साक्षियों से पूछ–ताछ कर कोई बयान नहीं लिया गया।

यह कहना सही है कि मुकदमा अपराध संख्या–255/2022, धारा–147, 323, 504, 506, 336, 427, 325, 308, 354, 452, 379 भारतीय दण्ड संहिता की विवेचना मैने किया था। यह भी कहना गलत है कि मैने न्यायालय में आकर झूठा बयान दे रहा हूँ।

29. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी०डब्लू० –10 के रूप में शिवाकान्त पाण्डेय पुत्र रामजी पाण्डेय, उम्र–49 वर्ष, मकान नंम्बर E–184 चरगावां मेडिकल कालेज, रोड गोरखपुर, थाना–शाहपुर, जनपद–गोरखपुर ने दिनांक 30.04.2026 को सशपथ मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि मैं इन्दिरा डायग्नोसिस सेन्टर जो बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के कैम्पस में स्थित है, मैं बतौर सीटी स्कैन टेक्निशियन के पद पर सन् 2005 से कार्यरत हूँ, वर्तमान में उक्त डायग्नोस्टिक सेन्टर के मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर आज साक्ष्य हेतु उपस्थित आया हूँ। 13 जून 2021 को इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर में डाक्टर रवीश चन्द्र राय बतौर एक्सपर्ट M.D. Radiologist कार्यरत थे। साथ में एक ही सेन्टर पर काम करने के कारण मैं उनका हस्ताक्षर को भली भाति जानता पहचानता हूँ। दिनांक–13.06.2021

को उषा देवी उम्र लगभग 28 वर्ष महिला, जो सीटी स्कैन हेड हेतु गोरखपुर मेडिकल कालेज द्वारा रेफर की गयी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर IGKP0012952122 है। मेरे सेन्टर पर डाक्टर रवीश चन्द्र राय द्वारा उषा देवी के सिर का सीटी स्कैन किया गया है और उसकी प्रिंटेड रिपोर्ट S10 रवीश चन्द्र राय के डिजिटल हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/10 मूल रुप से मौजूद है। उसी दिन दिनांक–13.06.2021 को चोटहिल रवि, उम्र–30 वर्ष पुरूष, जो मेडिकल कालेज के डाक्टर द्वारा रेफर होकर सीटी स्कैन हेतु हेड मेरे डायग्नोस्टिक सेन्टर पर उपस्थित आया था। रवि उपरोक्त का सी०टी० स्कैन हेड भी S10 रवीश चन्द्र राय द्वारा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर किया गया और उसकी रिपोर्ट भी डाक्टर साहब ने स्वयं प्रिंटेड रुप में तैयार कराकर उसपर अपना डिजिटल हस्ताक्षर बनाया। रवि उपरोक्त के सीटी हेड का डाक्टर रविश चन्द्र राय द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर बैड पर प्रिंटेड रुप में इस पर डाक्टर राय का डिजीटल हस्ताक्षर भी है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/1 मूल रूप से पत्रावली में संलग्न है।

डाक्टर रविश चन्द्र राय वर्तमान में इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर कार्यरत नहीं है और उनका वर्तमान पता भी इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर को पता नहीं है।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/10 सीटी हेड उषा देवी दिखाया गया, जिसे देख व पढ़कर इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर में कार्यरत डाक्टर रविश चन्द्र राय द्वारा तथा किये गये सीटी हेड रिपोर्ट होने व उस पर डाक्टर रवीश चन्द्र राय का हस्ताक्षर बने डिजिटल को साक्षी ने पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–9/PW–10** अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–6 क/1 सीटी स्कैन रिपोर्ट रवि उपरोक्त दिखाया गया, जिसे देखकर इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर कार्यरत डाक्टर रविश चन्द्र राय द्वारा तैयार रिपोर्ट और उसपर बने डाक्टर रिवश चन्द्र राय के डिजिटल हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–10/PW–10** अंकित किया गया।

Cross by Defence:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मेरा इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर बी०आर०डी०मेडिकल कालेज कैम्पस, गोरखपुर से जारी कोई पहचान मेरे पास नहीं है। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैनेजर

का काम मरीज के आने पर उनके सम्बन्ध में डाटा एन्ट्री का भी काम मेरे जिम्मे होता है। मेडिकल कालेज के किस डाक्टर ने मजरुब रवि व उषा को सीटी स्कैन के लिए भेजा था मैंने अपने रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया है, न ही मुझे जानकारी है। हम लोग मरीज के रेफर से सम्बन्धित कागज फोटो कापी अपने सेन्टर पर नहीं रखते है। हम लोग पेसेन्ट का आधार कार्ड अता पता नोट नहीं करते है। मरीज के साथ आने वाले किसी व्यक्ति का पता नहीं नोट करते है। लोगो के बताने के आधार पर पेसेन्ट का नाम व उम्र अपने रजिस्टर में नोट करते है। आज मैं अपने इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर से कोई रजिस्टर अथवा डाटा लेकर न्यायालय नहीं आया हूँ। बी०आर०डी० मेडिकल कालेज के कम्पाउण्ड में सरकारी सीटी स्कैन सेन्टर वर्ष 2014 से ही स्थित व कार्यरत है। जब मेडिकल कालेज के डाक्टर ने सीटी स्कैन के लिए रेफर किया था तो पेसेन्ट से मैंने यह नहीं पूछा कि सरकारी सीटी स्कैन में अपना जाँच क्यों नहीं कराये। इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट स्वत: पोषित सीटी स्कैन सेन्टर मेडिकल कालेज कम्पाउण्ड में है। जो रेफर पेपर मेरे समक्ष मजरूबगण का आया था, वह मेडिकल कालेज का था। मेरे पास किसी अन्य हास्पिटल का सीटी स्कैन हेतु रेफर पेपर मेरे समक्ष नहीं आया था, न ही मैने देखा था। सीटी स्कैन रिपोर्ट मे चोटों के बारे में जो विवरण अंकित है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं नहीं बता सकता डाक्टर ही बता सकते है। चोटों की प्रकृति व गम्भीरता को नहीं बता सकता, डाक्टर ही बता सकते है। डाक्टर रवीश चन्द्र राय कबसे कब तक कार्यरत रहे, नहीं बता सकता। पांच–छ: माह तक कार्यरत रहे है। मैं डाक्टर साहब की डिग्री नहीं बता सकता। पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 पर डाक्टर साहब का मूल हस्ताक्षर नहीं है। मैं डाक्टर साहब के कार्यरत के समय का वर्तमान पता नहीं जानकारी है, न ही आज ही उनका पता जानकारी है। सीटी स्कैन के समय सीटी स्कैन चार्ज जब मरीज के परिजन द्वारा जमा किया जाता है तब उसको एक आईडेन्टी नक्शा सेन्टर द्वारा प्रदान किया जाता है। मजरूब के परिजन द्वारा जब सीटी स्कैन चार्ज के रुप में जब पैसा जमा किया गया तो परिजन का आईडी IGKP0012962122 व IGKP0012952122 दर्ज है। हमारे सेन्टर द्वारा जारी सीटी स्कैन रिपोर्ट मरीज को देते समय स्पष्ट रुप से बता दिया जाता है कि यह रिपोर्ट कानूनी प्रयोग के लिए नहीं है, जिसका विवरण रिपोर्ट के नीचे के लाईन में अंकित है कि " This report is not for medical ligo purpose" मरीज को यह बताया जाताहै कि यह एक प्राइवेट संस्थान है। मरीज को संस्थान में गहराई से छान–बीन नहीं किया जाता है। इसका उपयोग डाक्टर से उचित सलाह के लिए किया जाता है।

यह कहना गलत है कि मैं इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर काम नहीं करता हूँ। इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर के मालिक को बचाने के लिए झूठा बयान दिया हूँ। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट गलत तरीके से तैयार किया गया है। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट तैयार करते समय डाक्टर साहब सेन्टर पर मौदूज नहीं थे। टेक्निशियन द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था।

30. बचाव पक्ष के द्वारा बतौर साक्षी डी०डब्लू०–1 के रूप में मनोज कुमार पुत्र कन्हैया लाल चौहान, उम्र–32 वर्ष, साकिन–बेलवा बाबू सरदार नगर, थाना–चौरी चौरा, जनपद–गोरखपुर ने दिनांक–19.05.2026 को मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि मेरी बुआ दो बहन थी, जिसमें बड़ी बुआ की मृत्यु हो चुकी है। मेरी बड़ी बुआ की मृत्यु दिनांक–28.05.2021 को हुआ था, जिनका ब्रम्हभोज दिनांक–12.06.2021 दिन शनिवार को था। ब्रम्हभोज में मेरे साथ मेरे छोटे फुफा सुरेन्द्र चौहान भी दिनांक – 11.06.2021 को समरा विश्वनाथपुर में ब्रम्हभोज में गये थे, वहाँ पर लगभग तीन दिन तक मैं व मेरे छोटे फूफा सुरेन्द्र चौहान भी रहे।

<u>**जिरह द्वारा ए०डी०जी०सी०**</u>:–

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि आज गवाही के लिए कोर्ट से मुझे कोई सम्मन नोटिस नहीं गया था। अभियुक्त सुरेन्द्र मेरे सगे फुफा है, उनके बताने पर उन्हीं के साथ आज गवाही के लिए आया हूँ। सुरेन्द्र चौहान के गाँव का नाम पिड़रा गोपाल टोला है। मेरे घर से अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान के घर की दूरी लगभग 15–16 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। सेमरा विश्वनाथपुर गाँव गोरखपुर जिले से झंगहा थाने में पड़ता है। यह गाँव मेरे घर से दक्षिण की तरफ लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सेमरा विश्वनाथपुर की मेरी बुआ जिनकी मृत्यु होने की बात मैं मुख्य परीक्षा में बताया हूँ, उनके चार लड़के है, सभी लोग जवान है, कामकाज व जिम्मेदारी सम्भावने वाले लोग है तथा दो लड़किया है, जो प्रौढ़ है, जिम्मेदारी से काम काज सम्भालने वाले है, जो बुआ मरी थी, उनके पट्टीदार व पड़ोस भाई पट्टीदार में लोग है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी जो बड़ी हुआ के मरने की बात व ब्रम्हभोज की बात कहा हूँ, उनके भाई पट्टीदार ब्रम्हभोज में शामिल थे कि नहीं, उनके भाई पट्टीदार व पड़ोसी के सम्बन्ध में मुझे किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। सुरेन्द्र चौहान व मैं एक साथ ब्रम्हभोज में नहीं गये थे। मैं अपने घर राईसमील चलाता हूँ, ट्रैक्टर रखा हूँ, जिससे अपना खेत व गाँव के लोगों का खेड़ भाड़े पर आमदनी के लिए जोतता बोता हूँ।

31. **बचाव पक्ष के द्वारा बतौर साक्षी डी०डब्लू०–2 के रूप में विमला देवी पत्नी कन्हैया, उम्र–62 वर्ष, पेशा–गृहणी, साकिन–सरदार नगर बेलवा बाबू, थाना–चौरी चौरा, जनपद–गोरखपुर ने दिनांक–08.07.2026 को मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि** हमारी ननद सोनमती देवी पत्नी स्व० पतिराज की मृत्यु दिनांक–28.05.2021 को हुई थी, उनका ब्रम्हभोज दिनांक 12.06.2021 दिन शनिवार को था। अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान दिनांक–11.06.2021 से दिनांक–14.06.2021 तक सेमरा विश्वनाथ पुर थाना–झंगहा, जिला गोरखपुर ब्रम्हभोज में मेरे साथ गया था।

<u>जिरह द्वारा अभियोजन</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मैं कक्षा 10 तक पढ़ी हूँ, मेरी तारीख किस महीने में किस सन् में हुई थी, याद नहीं है। मेरी शादी जिस दिन हुई थी, उस दिन भी याद नहीं है। यह महीना जो जुलाई चल रहा है वह 30 दिन का होता है। मैं अपने गाँव बेलवा बाबू में शादी के बाद से ही लगातार 13–14 साल से रहती हूँ। मेरी बड़ी ननद सोनमती का ससुराल सेमरी गाँव में है, उनका गाँव मेरे गाँव से 6–7 किलोमीटर की दूरी पर है। किस जिला में पड़ता है, मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती की पूरब किसका घर है, मैं नहीं जानती कि उसके घर के उत्तर किसका घर है। मैं नहीं जानती की दक्षिण किसका घर है। मैं नहीं बता सकती कि मेरी ननद का दरवाजा किस दिशा में है, मै नहीं बता सकती की आज गवाही देने के लिए कोर्ट से कोई सम्मन नोटिस नहीं गया था। आज मुकदमे में सुरेन्द्र के बताने पर और बुलाने पर गवाही देने न्यायालय में आई हूँ, सुरेन्द्र चौहान मेरे सगे नन्दोई है। इसलिए मैं उनके बताने पर रिश्तेदार होने के नाते गवाही देने आई हूँ, सोनमती का घर जब वह मरी थी तो छोटी–छोटी कोठरी का दो कोठरी था। सोनमती के पति 5 भाई है। सोनमती के चार लड़के दो लड़किया है, सब लोग उसी छोटी कोठरी में रहते थे। जिस दिन सोनमती मरी थी, उस दिन बुधवर था। तीन बजे दिन उनका दाह संस्करा हो गया था। मेरे यहाँ मरने के 12 दिन में तेरहवी होती है, फिर कही की सोलहवे दिन पर तेरहवी होती है। मेरे यहा स्पेशल है, सोलहे दिन काम होता है।

32. **बचाव पक्ष के द्वारा बतौर साक्षी डी०डब्लू०–3 के रूप में ओमप्रकाश पुत्र विशुनी, उम्र–52 वर्ष, पेशा–मजदूरी, साकिन–सेवरेजी खर्ग, थाना–मडुआडीह, जनपद–देवरिया ने दिनांक–09.07.2026 को मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि** अभियुक्त मुन्ना मेरे भांजे लगते है। वह दिनांक–08.06.2021 से हमारे घर पर थे। दिनांक–07.07.2021 को हमारे साथ बाहर चले गये। हमारे साथ हमारे घर देवरिया में मजदूरी का कार्य करते थे।

<u>जिरह द्वारा अभियोजन–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मुझे आज गवाही के लिए न्यायालय से कोई समन नोटिस नहीं गया था और न ही मुझे प्राप्त हुआ। अभियुक्त मुन्ना मेरे बहनोई लगते है। इसलिए उन्ही के कहने पर आज गवाही दिया हूँ। मैं कक्षा पांच तक पढ़ा हूँ, मेरी शादी हो गयी है, हमारे तीन लड़के है, मेरा एक लड़का 2014 में, एक लड़का 2016 में व एक लड़का 2019 में पैदा हुआ है। सब की जन्मतिथि ठीक–ठीक याद नहीं है। अभियुक्त मुन्ना इस मुकदमें में जेल गये थे, इसकी जानकारी है। कितने तारीख से कितने तारीख तक मुन्ना जेल में रहे है मुझे तारीख की कोई जानकारी नहीं है। किस तारीख को मुन्ना को पुलिस कहां से पकड़ी थी, वह भी मुझे याद नहीं है। आज के पूर्व मैंने मुख्य परीक्षा में जो भी बयान दिया हूँ, उस तरह की बाते आज मुन्ना के बुलाने व बताने पर न्यायालय में पहली बार कहा हूँ, आज से पहले कभी किसी पुलिस के अधिकारी या दरोगा को कोई बयान नहीं दिया हूँ। मुन्ना मेरे सगे भांजे है, केवल इसी लिए उनके बुलाने पर आज गवाही दिया हूँ। किसी बाहरी व्यक्ति की बात होती तो मैं गवाही देने नहीं आता। आज से पांच साल पहले की सारी बाते मुझे याद नहीं है।

33. **बचाव पक्ष के द्वारा बतौर साक्षी डी०डब्लू०–4 के रूप में कृष्ण मुरारी पुत्र रामनाथ, उम्र–36 वर्ष, पेशा–मजदूरी, साकिन–पुरैनी, थाना–रामपुर कारखाना, जनपद–देवरिया ने दिनांक–09.07.2026 को मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि** मेरा पांच कमरे का मकान बना है। दिनांक–15.05.2021 से 30.06.2021 तक रामईश्वर हमारे घर मिस्त्री का कार्य करते थे। रामईश्वर जब तक मेरे मकान बनाये मेरे घर ही रात दिन रहते थे, घर से आ जाकर काम नहीं किये।

<u>जिरह द्वारा अभियोजन–</u>

उक्त साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि मुझे आज गवाही के लिए न्यायालय से कोई सम्मन नोटिस नहीं गया था और न मिला था। मैं आज रामईश्वर के बताने पर गवाही देने आया हूँ, वही मुझे लेकर आये है, रामईश्वर मेरे बहनोई लगते है, मैं मुख्य परीक्षा में जिस अवधि में अपने मकान बनवाने की बात बताया हूँ, उसी व्यक्ति निर्माण के बाबत। किसी भी सामग्री ईट, मोरग, छड़ सीमेन्ट की कोई रसीद नहीं रखा हूँ। मेरे मकान बनवाने में कौन–कौन सा मैटेरियल कितना लगा, मुझे याद नहीं है। मेरे गाँव में भी और आस–पास

के गाँव में राज मिस्त्री व लेबर उपलब्ध है। इस मुकदमें में मेरे बहनोई रामईश्वर जेल गये ते कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। आज पहली बार इस मामले में रामईश्वर के कहने व बताने पर गवाही दिया हूँ। इसके पहले किसी पुलिस अधिकारी या जाँच कर्ता को कोई बयान नहीं दिया हूँ।

<u>निष्कर्ष</u>:–

अभियोजन के कथानक का आधार लिखित तहरीर दिनांक–13.06.2021 द्वारा विरेन्द्र चौहान (पी०डब्लू०–1) है, जिसे वादी मुकदमा द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में दौरान विचारण साबित किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि दिनांक–12.06.2021 को शाम करीब शाम बजे वादी मुकदमा का पुत्र रवि जब गाँव के बाहर स्थित अपने मकान पर जा रहा था तो रास्ते में ही प्रविन्द्र चौहान के घर के सामने एक राय होकर जान से मारने की नियत से गाँव के ही मनीष, मुन्ना, विरेन्द्र, बिट्टू, सुरेन्द्र, रामईश्वर व हरिकेश वादी मुकदमा के पुत्र पर लाठी, डण्डा व लोहे की राड से हमला कर दिये, जब ऊषा देवी पत्नी प्रविन्द्र ने वादी मुकदमा के पुत्र को बचाने के लिए बीच–बचाव किया तो उसे भी मारने लगे। जान बचाने के लिए जब वह घर में भागी तो सभी लोग दौड़ाकर उसके घर में घुसकर बुरी तरह मारने–पीटने लगे, मनीष पुत्र रामभवन ने ऊषा देवी के सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रवि के ऊपर भी राड व ईट से मारा गया, सिर में गम्भीर चोट लगने से वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर ओम प्रकाश (पी०डब्लू०–4), रामभवन (पी०डब्लू०–5), दुर्गावती व अन्य ने इकट्ठा होकर विरोध किया तब इन सबकी जान बची। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकरौली लाया गया, जहाँ डाक्टर ने नाजुक स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल, कुशीनगर रेफर कर दिये, वहाँ के डाक्टर भी मेडिकल काजेल, गोरखपुर के लिए रेफर कर दिये। मेडिकल कालेज के डाक्टर भी लखनऊ के लिए रेफर कर दिये। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

वादी के तहरीर से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना वादी के समक्ष कारित की गयी या नहीं, परन्तु अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा ने यह कथन किया है कि "घटना के समय चिल्लाने की आवज सुनकर मैं स्वयं, ओमप्रकाश और उनकी पत्नी और लोग गाँव के आ गये।"

तहरीर से यह स्पष्ट है कि एफ०आई०आर० दर्ज होने से पूर्व सर्व प्रथम चोटहिलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकरौली लाया गया, जहाँ डाक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल, कुशीनगर रेफर कर दिया, वहाँ के डाक्टर भी मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए रेफर कर

दिये तथा मेडिकल कालेज के डाक्टर भी लखनऊ के लिए रेफर कर दिये। परन्तु तहरीर से यह स्पष्ट नहीं है कि तहरीर देते वक्त चोटहिल का इलाज कहाँ चल रहा था। अपने मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा ने यह कथन किया है कि "रवि और उषा देवी को पहले सरकारी अस्पताल सुकरौली, फिर वहाँ से रेफर होने पर जिला अस्पताल, कुशीनगर, वहाँ से भी रेफर होने पर बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर रेफर किया गया, जहाँ दवा इलाज हुआ तथा रचित अस्पताल, गोरखपुर में भी दवा इलाज कराया गया"

वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "बाद में उसने डाक्टरी और इलाज का कागज दरोगा जी को दिया था। परन्तु पत्रावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकरौली, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, रचित अस्पताल, गोरखपुर व लखनऊ के किसी डाक्टर या अस्पताल का कोई मेडिकल प्रपत्र अभियोजन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इतना ही नहीं अभियोजन ने कुल चार मेडिकल प्रपत्र दौरान विवेचना साबित किये है, प्रदर्श क–6 के रूप में उषा देवी का M.L.C. द्वारा ई०एम०ओ० सी०डी०एच०, कुशीनगर प्रदर्श–7 के रूप में M.L.C. द्वारा ई०एम०ओ० सी०डी०एच०, कुशीनगर एवं प्रदर्श क–9 व क–10 के रूप में NCCT हेड इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेंटर गोरखपुर द्वारा साबित पी०डब्लू०–9 किया गया है।

परन्तु अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में वादी मुकदमा ने कथन किया है कि "दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकरौली लाया गया, जहाँ डाक्टर नहीं मिले तो हम लोग जिला अस्पताल, कुशीनगर लेकर चले गये। नाजुक स्थिति को देखते हुए मेडिकल, गोरखपुर के लिए रेफर कर दिये, मेडिकल कालेज गोरखुपुर के डाक्टर लखनऊ के लिए रेफर कर दिये, लेकिन हम लोग नाजुक स्थिति को देखते हुए अपने मरीज को रचित अस्पताल, गोरखपुर में भर्ती कराकर दवा–इलाज करा रहे है।"

इसके विपरीत पी०डब्लू०–1 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "चोटहिल की मलहमपट्टी सुकरौली में हुआ था, उषा और रवि के सिर पर पट्टी बंधा था, जिला अस्पताल पहुँचते ही, वहाँ से डाक्टर साहब ने बिना दवा किये रेफर कर दिये.....................कोई डाक्टरी मुलाहिजा जिला अस्पताल में नहीं हुआ था। जबकि पत्रावली पर जो एकमात्र मेडिकोलीगल प्रपत्र प्रदर्श क–6 व क–7 के रूप में उपलब्ध है, जिसे पी०डब्लू०–8 के द्वारा साबित किया गया है, वह जिला अस्पताल, कुशीनगर का ही है, इससे स्पष्ट है कि पी०डब्लू० –1 को घटना व घटना के बाद के सही क्रम की कोई जानकारी नहीं है।

जहाँ तक पी०डब्लू०–1 के चक्षुदर्शी साक्षी होने का प्रश्न है प्रदर्श क–1 से यह स्पष्ट

नहीं है कि वादी मुकदमा चक्षुदर्शी साक्षी है कि नहीं , परन्तु अपने मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा (पी०डब्लू०–1) ने कथन किया है कि "जब यह घटना घटी तो वह अपने लड़के से पांच कदम की दूरी पर था।"

परन्तु जो दो सबसे महत्वपूर्ण चोटहिल साक्षी इस प्रकरण के है उन्हें अभियोजन ने पी०डब्लृ–2 और पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित किया है।

पी०डब्लू०–2 रवि ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परन्तु अपने मुख्य परीक्षा में उसने यह कथन नहीं किया है कि घटना के समय वादी मुकदमा घटना स्थल पर मौजूद थे। अपने प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट कथन किया है कि "घर से घूमने के लिए 07:00 बजे जा रहा था, वह अकेले जा रहा था, उसके साथ कोई नहीं था।"

इतना ही नहीं दूसरी चोटहिल उषा देवी (पी०डब्लू०–3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षी में स्पष्ट कथन किया है कि "रवि के पिता विरेन्द्र को घटना के समय अपने दरवाजे पर नहीं देखी थी।"

पी०डब्लू०–5 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि " जब मैं घटना स्थल पर पहुँचा तो मैं विरेन्द्र को नहीं देखा। मार–पीट के दौरान भी मैंने विरेन्द्र को नहीं देखा था। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी मुकदमा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

पी०डब्लृ–2 ने स्पष्ट रूप से मारने वालों में अभियुक्त मनीष का नाम लिया है , जिसने उसके सिर पर चोट पहुँचायी है। अपने प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि बिट्टू के हाथ में लाठी थी, हरिकेश के हाथ में लाठी थी, सुरेन्द्र के हाथ में लाठी थी। परन्तु साथ ही उसने यह भी कथन किया है कि "जब वह मौके पर बेहोश हो गया, उसके दो दिन बाद रचित अस्पताल में उसे होश आया।" जबकि प्रदर्श क–7 से यह स्पष्ट है कि पी०डब्लू०–2 स्वयं ही अपने इलाज के लिए गया था व साक्षी पी०डब्लू०–8 ने भी स्पष्ट कथन किया है कि "रवि स्वयं चलकर आया था।" पुन: अपने प्रतिपरीक्षा पी०डब्लू०–8 ने कथन किया है कि चोटहिल रवि मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ था, उसने अपने चोटों के बारे में स्वयं बताया था, रवि पूरी तरह होश–हवास में था, उन्होंने अपनी चोटों के बारे में बताया, किसी भी प्रकार से असामान्य नहीं थे। रवि की चोट 1 व 4 नम्बर की चोट जो हाथ के हथेली के कलाई पर थी, उसको मैने Kept under Observation में रखा, बाकी सभी चोटें सामान्य थी। इससे यह साबित होता है कि पी०डब्लू०–2 अपनी चोटों के सम्बन्ध में बढ़ा–चढ़ाकर कथन कर रहा है।

इसी तरीके से दूसरी चोटहिल पी०डब्लू०–3 उषा देवी ने भी अपने मुख्य परीक्षा में

अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परन्तु उसने भी अपनी चोटों के सम्बन्ध में बढ़ा–चढ़ाकर बयान दिया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि "रचित अस्पताल, गोरखपुर में उसे पांच दिन बाद होश आया था, उसके पूर्व में उसे एक भी बार होश नहीं आया था।" जबकी पी०डब्लू०–8 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "जब उषा देवी मेरे पास आई थी, तब मुझसे बात–चीत की थी।"

अभियोजन का यह भी केस है कि मुल्जिमानों ने चोटहिल उषा को उसके घर में घुस कर मारा था। परन्तु पी०डब्लू०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मनीष मुझे लोहे की राड से मारे थे, जब मैं जान बचाकर वहाँ से भागना चाही तो गिर गयी थी और बेहोश हो गयी... ... ... .उसके बाद मैं नहीं जान पायी कि मेरे साथ क्या–क्या हुआ।" पुनः उसने यह कथन करके अपने पूर्व के बयान को खण्डित कर दिया कि "जान बचाने के लिए अपने घर में घुसी।" प्रश्न यह है कि जब मनीष के मारने से वह वहाँ से भागना चाही थी तो गिर गयी थी और बेहोश हो गयी। पुनः वह यह नहीं जान पाई कि उसके साथ क्या–क्या हुआ ऐसी स्थिति में जान बचाकर घर जाने वाली बात असंगत प्रतीत होती है।

अभियोजन ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी०डब्लू० –4 के रूप में ओम प्रकाश को परीक्षित किया है। परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मार–पीट के समय कौन–कौन था मैं नहीं बता सकता, मार–पीट हो जाने के बाद मैं पहुँचा था।" मार–पीट का झगड़ा मैं देखा था, मार–पीट उषा के दरवाजे पर हुआ था। साक्षी ने पुनः प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त बिट्टू और मनीष कथन किया कि "मैं घटना स्थल पर घटना होने के बाद पहुँचा था..................जब मैं पहुँचा तो ईट–पत्थर चल चुका था। पुनः कहा कि यह कहना सही है कि मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर बयान दिया है, मैंने घटना नहीं देखा है।"

इसी तरीके से चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–5 रामभजन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "जब मैं घटना स्थल पर पहुँचा तब मुल्जिमान उषा और रवि को मार चुके थे, तब मैं मौके पर पहुँचकर मुल्जिमान से छुड़ाये थे, जब मैं मौके पर पहुँचा तब मुल्जिमान रवि और उषा को मार चुके थे, मैंने इनको मारते हुए नहीं देखा था, दोनों पक्षों के बीच ईट–पत्थर खूब चला था, लाठी–डण्डा भी खूब चला था। पुनः कहा कि जब ईट–पत्थर दोनों तरफ से चला था तो दोनों पक्षों को चोट लगी थी।

इस तरह से यह स्पष्ट है कि दिनांक–12.06.2021 को शाम 07:00 बजे घटना घटित हुई थी। परन्तु पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू–4 व पी०डब्लू–5 इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

चोटहिल पी०डब्लू–2 व पी०डब्लू०–3 के चोट व इलाज सम्बन्धि बयानों में तमाम विरोधाभाष के उपरान्त भी यह स्पष्ट है कि दिनांक–12.06.2021 को शाम 07:00 बजे घटित घटना में दोनों चोटहिलों को चोटें लगी, जिन्हें पी०डब्लू–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा व उनके द्वारा साबित प्रदर्श क–6 व क–7 से पूर्ण रूप से साबित किया है, जिसमें दोनों चोटहिलों को क्रमश:–

चोट संख्या–1. Lacerated wound (फटा हुआ घाव), जिसका साइज 5 X .5CM X bone deep जो कि सर के ऊपर था, जो नाक के जड़ से 14CM ऊपर था, जिसको Observation में रखकर एक्स–रे व सी०टी० स्केन हेतु सन्दर्भित किया गया ता। खून बह रहा था।

चोट संख्या–2. Contusion 4.50 CM X 4.00CM बाई आँख के चारो तरफ ।

चोट संख्या–3. Contusion 6.00 CM X 4.00 CM दाहिने हाथ के बाहरी हिस्से में दाहिने कंधे से 4.5CM नीचे।

चोट संख्या–4. छिला हुआ घाव 2.00CM X 1.00CM बाये पैर के अगले हिस्से में बये घुठने से 10.00CM नीचे।

चोट संख्या–5. छिला हुआ (Abrasion) 1.00CMX 1.00CM दाहिने पैर के आगे वाले हिस्से में घुठने के 4.50CM नीचे था।

चोट संख्या–6. Contusion 2.50 CM X 2.0CM पीठ पर जो 0.7 से 14.00CM नीचे था।

<u>Opinion</u>:– सारे चोट ठोस व कुन्द वस्तु से कारित था तथा चोटें ताजी थी।

उसी दिन समय 10:45PM पर रवि स्वयं चलकर आया था, जिसकी चोटें निम्नवत थी:–

चोट संख्या–1. कटा भरा विओज जैसा था, साइज 3.00 X 2.50CM X bone deep बाये ललाट पर बाये आँख के भौ से 4.00 CM ऊपर था, जिसको Observation में रखकर X–ray व C.T. head के लिए संदर्भित किया गया था।

चोट संख्या–2. किल व घुस घाव जो 14.00 X 4.00 CM बये कंधे पर था।

चोट संख्या–3. सीने में दर्द बता रहा था।

चोट संख्या–4. घुस (Contusion) 10.00 CM X 6.00 CM size जो दाहिने कलाई के पृष्ठ भाग पर था, जिसे मैंने Observation में रखकर दाहिने सलाई को X–ray के लिए संदर्भित किया था।

Opinion:– सारे चोट ठोस व कुंद वस्तु से कारित की गयी थी, चोट ताजी थी।

इतना ही नहीं पी०डब्लू–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में चोटहिलों के चोटों के सम्बन्ध में यह राय दी है कि सभी चोटें ठोस व कुन्द वस्तु से कारित था तथा चोटें ताजी थी। उषा देवी (पी०डब्लू–3) के चोट से खून बह रहा था तथा रवि (पी०डब्लू–1) के चोट से खून बह रहा था। चुँकी भारत में Falsus in uno, Falsus in omni bus का सिद्धान्ध स्वीकार नहीं है व पी०डब्लू०–2, पी०डब्लू०–3 और पी०डब्लू–8 के बयान व प्रदर्श क–6 व क–7 स्पष्टत: साबित करते है कि घटना दिनांक–12.06.2021, शाम 07:00 बजे चोटहिलों को चोटे लगी थी। पी०डब्लू०–2 और पी०डब्लू०–3 दोनों चोटहिलों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मनीष द्वारा राड से मारा गया व चोट लगने के बाद वे बेहोश हो गये थे। जहाँ तक चोटहिलों के बेहोश होने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 एवंम् पी०डब्लू–8 के बयान से स्पष्ट है कि जब वे M.L.C. के लिए जिला अस्पताल कुशीनगर के लिए गये थे तब वे पूरे होशोंहवाश में थे। पी०डब्लू० –8 ने यह भी कथन किया कि उषा देवी की सभी चोटें सामान्य थी। एक चोट जो Under Observation में थी उनको छोड़कर सभी चोटें सामान्य थी..................उषा देवी के शरीर पर जो चोट थी, उसमें से सर की चोट थी, वह छोड़कर बाकी चोटें प्राणघातक नहीं थी। सर की चोटें प्राण घातक है कि नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। इसी प्रकार चोटहिल रवि के बारे में पी०डब्लू० –8 ने कथन किया कि वे किसी प्रकार से असामान्य नहीं थे, पूरी तरह से सामान्य थे। रवि की चोट संख्या–1 व 4 जो हाथ की हथेली की कलाई पर थी, उसको मैंने Kept Under Observation में रखा था, बाकी सभी चोटें सामान्य थी। चोट संख्या –1 व 4 से सम्बन्धित कोई पूरक रिपोर्ट न मिलने के कारण मैं नहीं बता सकता कि चोट सामान्य प्रकृति की थी या असामान्य प्रकृति की थी। इससे भी महत्वपूर्ण कथन पी०डब्लू० –8 का यह है कि "चोट संख्या–1 मजरूब रवि के सर पर आई चोट लोहे की राड से आना सम्भव नहीं है। ईट से आना या कुन्द वस्तु जो त्रिकोना हो उससे आना सम्भव है। मजरूब रवि का प्राथमिक उपचार हुआ था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। रवि को जो सर की चोट संख्या –1 आई थी वह ईट पर गिरने से आ सकती है।" इसी तरीके से चोटहिल उषा देवी के सम्बन्ध में कथन किया कि "जो चोट चोटहिल उषा देवी को आई है, वह चोट सड़क व दीवाल पर

गिरने से आ सकती है।" अभियोजन का पूरा बल इस बात पर है कि चोटहिलों के सर पर मनीष द्वारा राड से मारा गया, जिससे प्राण घातक चोटें आई, जबकि पी०डब्ली०–8 के कथन से स्पष्ट है कि वे चोटें राड से आना सम्भव नहीं है। जहाँ तक चोटहिलों को घोर उपहति कारित करने का प्रश्न है, पत्रावली पर ऐसा कोई ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

यद्यपि पी०डब्लू०–4 व 5 ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंन्कार किया है, परन्तु पी०डब्लू०–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मारपीट के बाद में पहुँचा था, मार–पीट के कितने समय बाद पहुँचा था, समय नहीं देखा था", फिर कहाँ कि "मार–पीट का झगड़ा मैं देखा था, मार–पीट उषा के दरवाजे पर हुआ था।..............जब मैं पहुँचा तो ईट–पत्थर चल चुका था...........मैं पहुँचा तो दोनों लोग बेहोश थे।"

इसी तरीके से पी०डब्लू०–5 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "जब झगड़ा हो रहा था, तब मैं वहा पहुँच गया था, झगड़ा के समय सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, मनीष, बिट्टू, रामेश्वर और गांव के बहुँत से लोग थे............झगड़ा हो रहा था तब दोनों पक्षों में ईट–पत्थर, राड चल रहा था”............आगे कहा कि “दोनों पक्षों को चोट लग सकती है।"

इस तरीके से स्वतंत्र साक्षी भी घटना होने व उसमें चोटहिलों के चोटिल होने और मुल्जिमानों के मौजूद होने का समर्थन करते है।

प्रस्तुत वाद में अभियोजन के स्टार साक्षी चोटहिल है, चोटहिल साक्षियों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न विधि व्यवस्था दी है–

State of U.P. Vs.Naresh “It is a settled law that ocular evidence of the victim or the injured is considered the best evidence. In the case titled as "State of U.P. v. Naresh", (2011) 4 SCC 324, Hon'ble Supreme Court had observed:–

"27. The evidence of an injured witness must be given due weightage being a stamped witness, thus, his presence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present during the occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is

accorded a special status in law. The witness would not like or want to let his actual assailant go unpunished merely to implicate a third person falsely for the commission of the offence. Thus, the evidence of the injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide Jarnail Singh v. State of Punjab [(2009) 9 SCC 719: (2010) 1 SCC (Cri) 107], Balraje v. State of Maharashtra [(2010) 6 SCC 673 : (2010) 3 SCC (Cri) 211] and Abdul Sayeed v. State of M.P. [(2010) 10 SCC 259 : (2010) 3 SCC (Cri) 1262])."

In the case titled as "Balu Sudam Khalde Vs. State of Maharashtra" MANU/SC/0328/2023 Hon'ble Supreme Court of India gave observation as to how the testimony of an injured person is to be considered. It was held, "26. When the evidence of an injured eye-witness is to be appreciated, the under-noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind: (a) The presence of an injured eye-witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition. (b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the Accused. (c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly. (d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions. (e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence. (f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded.

प्रस्तुत वाद में पी०डब्लू० –2, पी०डब्लू०–3 ने स्पष्टतः मारने वालों में सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, बिट्टू, मनीष, ईश्वर उर्फ रामईश्वर, मुन्ना और हरिकेश थे। मनीष के हाथ में लोहे की राड थी, का कथन किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–2 ने कथन किया है कि बिट्टू के हाथ में लाठी था, सुरेन्द्र के हाथ में लाठी था और पी०डब्लू–3 ने अपने जिरह में कथन किया है कि मुल्जिमान मेरे दरवाजे पर खड़े थे......................जब मैं छुड़ाने गयी तो रवि को छोड़कर सभी लोग मुझे राड, पैना से मारने लगे, मुझे बिट्टू ने लगभग दस दण्डा मारा था, हरिकेश ने भी मार था............मनीष मुझे लोहे की राड से मारे थे। फिर कहा अभियुक्तगण रामईश्वर, मुन्ना, धिरेन्द्र और सुरेन्द्र मुझे मारे थे, सभी लोग मिलकर मुझे लाठी, डण्डा, राड से तीस–चालीस बार मारे थे।

और इससे भी महत्वपूर्ण बचाव पक्ष ने पी०डब्लू० –3 के प्रतिपरीक्षा में अपना यह केस प्रस्तुत किया कि घटना में मनीष पुजा, बिट्टू को इस झगड़े में चोट आई थी कि नहीं। यह भी केस प्रस्तुत किया कि चोटहिल को धक्का–मुक्की में ईट पर गिर जाने के कारण चोट आई थी।

इतना ही नहीं अभियोजन ने पी०डब्लू० –1 को यह भी सुझाव दिया कि पी०डब्लू०–1 ने घटना स्थल पर रामप्रयास, परविन्दर, अखिलेश, मख्खु और ब्यास को भी घटना स्थल पर घटना करते देखा था।

पी०डब्लू०–1 को बचाव पक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि मनीष, बिट्टू, इन्द्रावती और पूजा को भी चोटें आई थी। इन लोगों को चोट वादी पक्ष के द्वारा पहुँचाई गयी थी।

इस प्रकार बचाव पक्ष घटना होना स्वीकार करता है।

अन्ततः पत्रावली पर अभियुक्त बिट्टू चौहान व मनीष चौहान का गिरफ्तारी के वक्त का एम०एल०सी० दिनांक–14.06.2021 उपलब्ध है, जिसके इनके अनुसार अभियुक्त बिट्टू चौहान को तीन चोटें साधारण प्रकृति व अभियुक्त मनीष चौहान को एक चोट साधारण प्रकृति की दो–तीन दिन पुरानी पाई गयी। ये तथ्य एवं परिस्थितियों घटना, घटना में चोटहिलों को लगी चोटें व मुल्जिमान की उपस्थिति युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करती है।

वर्तमान वाद चोटहिल साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है। अतः आशय इस बात का अहम पहलू नहीं है, फिर भी वादी पक्ष व अभियुक्तगण के बीच विवाद एक स्वीकृत तथ्य है। अतः मुल्जिमानों के पास घटना कारित करने का आशय मौजूद था।

वर्तमान वाद में अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर व मुन्ना द्वारा ALBI का Plea लिया गया है, जहाँ तक अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान का सम्बन्ध है डी०डब्लू०–1 और डी०डब्लू०–

2 द्वारा यह कथन किया गया है कि "सोनमती देवी की मृत्यु दिनांक–28.05.2021 को हुई थी, जिसका ब्रम्हभोज दिनांक–12.06.2021 को था और अभियुक्त सुरेन्द्र के द्वारा दिनांक–11.06.2021 से सेमरा विश्वनाथ पुर में थे। परन्तु डी०डब्लू० –2 ने अपने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि सोनमती शुक्रवार को मरी थी, उसी दिन उनका दाह संस्कार हो गया था। मेरे यहा मरने के बारह दिन बाद तेरहवी होती है, फिर कहा कि सोलह दिन पर तेरहवी होती है। प्रस्तुत संन्दर्भ में दिनांक –18.05.2021 के बाद तेरहवी दिनांक–09.06.2021 को पड़ेगी, न की दिनांक–12.06.2021 को जैसा कि डी०डब्लू०–1 व डी०डब्लू०–2 ने कथन किया है।

अभियुक्त रामईश्वर के सम्बन्ध में ओमप्रकाश ने डी०डब्लू० –3 के रूप में यह बयान किया है कि मेरा पांच कमरे का मकान बना दिनांक –15.05.2026 से दिनांक–30.06.2021 तक रामईश्वर हमारे घर राजमिस्त्री का काम करते थे।

परन्तु अपने प्रतिपरीक्षा में डी०डब्लू०–3 ने कथन किया है कि रामईश्वर मेरे बहनोई लगते है और मेरे गाँव में भी और आस–पास में लेबर मिस्त्री उपलब्ध है। ऐसी परिस्थितियों में डी०डब्लू०–2 का बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

उसी तरीके से अभियुक्त मुन्ना के लिए डी०डब्लू० –4 ने यह बयान किया कि अभियुक्त मुन्ना मेरे भांजे लगते है, वह दिनांक–08.06.2021 से हमारे घर पर थे। परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुन्ना को पुलिस कहाँ से पकड़ी थी, वह मुझे याद नहीं है, आज के पूर्व मैंने मुख्य परीक्षा में जो भी बयान किया हूँ, उस तरह की बाते मुन्ना के बुलाने और बताने पर न्यायालय में पहली बार कहा हूँ। अत: डी०डब्लू०–4 का भी बयान अभियुक्त के लाभ के लिए उपयुक्त नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में धारा–103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय अभियुक्तगणों के घटना स्थल पर होने के संन्दर्भ में पूर्व धारणा करती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन घटना दिनांक–12.06.2021, शाम करीब 07:00 बजे का होना व उस घटना में चोटहिल रवि व उषा देवी का घायल होना व घटना को सुरेन्द्र, धीरेन्द्र, बिट्टू, मनीष, ईश्वर उर्फ रामईश्वर, मुन्ना और हरिकेश, के द्वारा कारित करना युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

जहाँ तक चोट की प्रकृति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दौरान विवेचना चोटहिलों के बयान, डॉक्टर जिन्होने ने चोटहिलों का M.L.C. किया उनका बयान व डॉक्टर द्वारा साबित प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 M.L.C. एवं पी०डब्लू०–9 द्वारा साबित किये गये प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 पत्रावली में उपलब्ध है।

जहाँ तक प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 का प्रश्न है, यह एक डिजिटली हस्ताक्षर वाला दस्तावेज है, जिसकी प्रमाणिकता की जाँच क्रिप्टोग्राफिक वैद्धता की जाँच, हस्ताक्षर कर्ता के प्रमाण–पत्र के सत्यापन और आडिटट्रेल की समीक्षा के द्वारा ही की जा सकती है, जो अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है, जबकि अभियोजन ने उसके विरूद्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा साबित कराया गया है, जिसने उसे सिर्फ देखा है, जैसा कि पी०डब्लू०–9 का बयान है। अत: अभियोजन प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 को साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त भी अभियोजन कथानक के अनुसार चोटहिलों का इलाज पी०एच०सी० सुकरौली, मेडिकल कालेज गोरखपुर व लखनऊ में किया गया, जबकि अभियोजन इन स्थानों पे हुए किसी भी तरह के इलाज के सम्बन्ध में कोई भी प्रपत्र साबित करने में असफल रहा है। न्यायालय के समक्ष ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे कि यह साबित हो कि चोटहिल को इन्दिरा डायग्नोसिस सेन्टर में भेजा गया हो। ऐसी परिस्थितियों में चोट की प्रकृति जानने के लिए इस न्यायालय के समक्ष सिर्फ प्रदर्श क –6 और प्रदर्श क–7 व पी०डब्लू०–8 के बयान ही है और इनके अनुसार चोटहिलों को आई हुई चोटें साधारण प्रकृति की है। अत: यह न्यायालय यह अवधारित करता है कि चोटहिलों को आई हुई चोटें साधारण प्रकृति की है। इस तरह अभियोजन अपराध अन्तर्गत धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है व अपराध अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता साबित करने में असफल रहा है।

अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य में यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण जो कि संख्या में पांच से ज्यादा थे, ने अपने सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में उक्त अपराध कारित किये। अतएवं अपराध अन्तर्गत धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता अभियोजन युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

जहाँ तक अपराध अन्तर्गत धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है, पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया कि सुरेन्द्र, सुरेन्द्र, बिट्टू, मनीष, ईश्वर उर्फ रामईश्वर, मुन्ना और हरिकेश एक राय होकर मुझे घेरकर मारने–पीटने लगे व गाली–गुप्ता देने लगे और अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि मुल्जिमान मेरे सामने से आकर मारे–पीटे थे, मुल्जिमान अचानक से मारने–पीटने लगे, हमारे बीच–कोई कहा सुनी नहीं हुई थी। अत: अभियोजन अपराध अन्तर्गत धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता साबित करने में असफल रहा है। इन्दिरा डायग्नोसिस सेन्टर

जहाँ तक अपराध अन्तर्गत धारा–452 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है, पी०डब्लू०–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मनीष मुझे लोहे की राड से मारे

थे, जब मैं जान बचाकर वहाँ से भागना चाही थी, गिर गयी थी और बेहोश हो गयी, बिट्टू मेरे सर पर मारे थे कि नहीं, मैं बेहोश हो गयी थी, उसके बाद मैं नहीं जान पाई कि मेरे साथ क्या हुआ। पुन: कहा कि मेरे घर से घटना स्थल की दूरी पचास फीट पर है, फिर कहा कि बेहोश होने के बाद मुझे कहा–कहा ले गये। मुझे याद नहीं है। अत: अभियोजन अपराध अन्तर्गत धारा–452 भारतीय दण्ड संहिता युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

जहाँ तक अपराध अन्तर्गत धारा–352, 336 भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है, अभियोजन का यह केस नहीं है कि अभियुक्तगण का कृत्य उतावलेपन या उपेक्षा से किया गया है और वादी पक्ष को कोई चोट कारित ना की गयी है। अत: अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विश्लेषण से इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य और दोनों विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गये तथ्य शामिल है, से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अपराध अन्तर्गत धारा–147, 323 भारतीय दण्ड संहिता युक्ति युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतएवं अभियुक्तगण–मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना को अन्तर्गत धारा–147, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुए दोषी करार दिये जाते है।

पत्रावली दिनांक–03.08.2026 को सजा के प्रश्न सुनवाई हेतु नियत की जाती है।

दिनांक–31.07.2026

(ओम प्रकाश–IX)

एच०जे०एस०–UP2675

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 3

कुशीनगर स्थान पडरौना।

UPKU010031362021

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 3, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थितः–ओम प्रकाश–IX, एच०जे०एस०–UP2675

सत्र परीक्षण संख्या–584/2021

उ०प्र० सरकार, ...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. मनीष, उम्र–30 वर्ष पुत्र रामभवन,
2. सुरेन्द्र चौहान, उम्र–62 वर्ष पुत्र दुधई,
3. रामईश्वर, उम्र–45 वर्ष पुत्र विशुन,

साकिन–पिड़रा गोपाल, थाना–कोतावाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

अभियुक्तगण।

एवम्

UPKU010000362023

सत्र परीक्षण संख्या–19/2023

उ०प्र० सरकार, ...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. मुन्ना, चौहान, उम्र–25 वर्ष पुत्र नरसिंह,

साकिन–पिड़रा गोपाल टोला, थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–244/2021,

धारा–147,323,506,452,352,336,307 भा०दं०सं०

थाना–कोतवाली हाटा, जनपद–कुशीनगर।

<u>दिनांक–03.08.2026</u>

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनने के लिए पुन: पेश है। दोषसिद्धगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) को सजा की बिन्दु पर सुना गया।

1. दोषसिद्धगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड के प्रश्न पर बारी–बारी से सुना गया।

2. सभी दोषसिद्धगण ने अश्रूपूरित नेत्रों से अपनी–अपनी गलती को स्वीकार करते हुए न्यायालय से उन्हें कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी है। सभी के द्वारा यह संवेत स्वर में बताया गया है कि वे अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य है अतएव यदि उन्हें लम्बे सयम तक जेल की सजा दी गयी तब उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। अत: उन्हें कम से कम कारावास की सजा दी जाये ताकि वे स्वयं में सुधार करते हुए समाज और देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। दोषसिद्धगण के द्वारा किये गये अभिकथन में अग्रेतर जोड़ते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया है कि दोषसिद्धगण का कोई पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। अतएव इस तथ्यों को भी दोषसिद्धगणों को सजा पर विचार करते वक्त दृष्टिगत रखा जाना न्याय की माँग है अस्तु उन्हें कम से कम सजा दिया जाये।

3. विपरीत विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) ने दोषसिद्धगणों को अधिकतम प्रावधानित सजा दिये जाने का आग्रह किया और इस संदर्भ में उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया है कि दोषसिद्धगणों के द्वारा कारित अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतएव दोषसिद्धगणों को अधिकतम प्राविधानित सजा दी जाये ताकि उन्हें दिया गया दण्ड वर्तमान समाज के समक्ष एक **प्रतिरोधक** के रूप में उपस्थित हो।

4. दोषसिद्धगण, उनके अधिवक्ता तथा अभियोजन को दोषसिद्धगण को दिये जाने वाले दण्ड पर रखे गये उनके अभिकथनों को दृष्टिगत किया गया साथ ही पत्रावली पर उपस्थित तथ्य और साक्ष्य पुन: गहनता से उक्त दोषसिद्धगण के सन्दर्भ में सजा के निर्धारण हेतु

विचारित किया गया। यह न्यायालय इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को समग्रता से दृष्टिगत रखते हुए यह पाती है कि इस वर्तमान मामले में कुल 6 अभियुक्तगण शामिल थे। जिन्होंने वादी पक्ष के दो लोगों को घायल किया, लेकिन पत्रावली पर यह भी साक्ष्य उपलब्ध है कि घटना से एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच अभियुक्त मनीष की बहन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें वादी पक्ष अभियुक्त है। अभियोजन साक्षी चार और पांच ने भी यह कथन किया है कि दोनों पक्षों के बीच लाठी–डण्डा और ईट, पत्थर चल रहे थे। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह न्यायालय दोषसिद्धगणों द्वारा कारित अपराध की Mitigating Circumstances मानती है, परन्तु कानून को अपने हाथ में लेना अपने आप में एक गम्भीर विषय है, जो न केवल पीड़ित के सापेक्ष है, अपितु यदि उन्हें हल्की सजा दी गयी तब यह सम्पूर्ण समाज और राज्य व्यवस्था के लिए भी अहितकर होगा और इस प्रकार से इस वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता कारित करने हेतु 01 (एक) वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को 15 दिन की अग्रेतर सामान्य कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। प्रत्येक दोषसिद्धगण को अपराध अन्तर्गत धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता कारित करने हेतु 01 (एक) वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है तथा अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को 15 दिन की अग्रेतर सामान्य कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित समझती है। प्रत्येक दोषसिद्धगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना को अपराध अन्तर्गत धारा–307, 336, 352, 452, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>

1. दोषसिद्ध अभियुक्तगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता कारित करने हेतु 01 (एक) वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को अग्रेतर 15 दिन के समान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. दोषसिद्ध अभियुक्तगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना प्रत्येक को अपराध अन्तर्गत धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता कारित करने हेतु 01 (एक) वर्ष के सश्रम

कारावास तथा 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है एवं अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को अग्रेतर 15 दिन के समान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी।

3. प्रत्येक दोषसिद्धगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना को अपराध अन्तर्गत धारा–307, 336, 352, 452, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है।

4. दोषसिद्धगण सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना जमानत पर है। अतएव उनके (प्रत्येक) व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है साथ ही उनके दोनों प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

5. दोषसिद्धगण मनीष, सुरेन्द्र चौहान, रामईश्वर और मुन्ना के द्वारा विवेचना या परीक्षण के दौरान कारावास की अवधि को उन्हे दी गयी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

6. दोषसिद्धगण को दी गयी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

7. उक्त मामले से सम्बन्धित विवेचना या केस कार्यवाही के या आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या दौरान बरामद या जब्त की गयी सामग्री यदि कोई हो तो अपील हेतु प्राविधानिक के समय बीत जाने पर यदि अपील न प्रस्तुत किया गया हो तो वनिष्ट किया जाये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में उक्त सामग्री को माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार निस्तारित किया जाये।

8. सभी दोषसिद्धगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की कुल राशि में मु० 5000/5000 रुपया अर्थदण्ड की राशि इस मामले के पीड़ित रवि और उषा देवी को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि पीड़ितगण की पहचान के सम्बन्ध में आस्वस्त होते हुए उन्हें उक्त धनराशि के जमा किये जाने की स्थिति में नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाये।

9. इस निर्णय की एक प्रति सभी दोषसिद्धगण को नि:शुल्क प्रदान की जाये।

10. इस निर्णय व आदेश की एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति सत्र परीक्षण संख्या 19/2023, सरकार बनाम मुन्ना में रखी जावे।

दिनांक–03.08.2026

(ओम प्रकाश–IX)

एच०जे०एस०–UP2675

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 3

कुशीनगर स्थान पडरौना।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, खुले न्यायालय में आज दिनांक–03.08.2026 को उद्घोषित किया गया।

दिनांक–03.08.2026

(ओम प्रकाश–IX)
एच०जे०एस०–UP2675
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 3
कुशीनगर स्थान पडरौना।